स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल

Education par Excellence

Operational Guidelines-2014-15

Rajasthan Council of Secondary Education

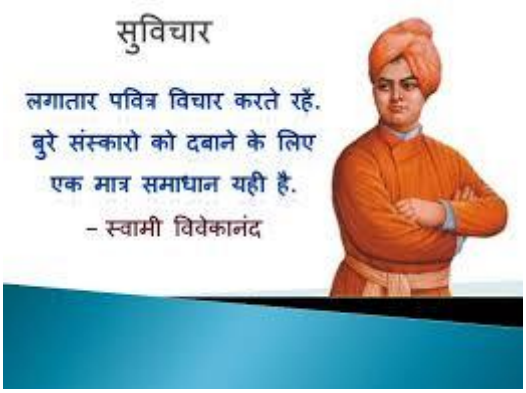

तू जिंदा है तो ज़िन्दगी की जीत में यकीन कर.....

हिन्दी

तू जिंदा है तो ज़िन्दगी की जीत में यकीन कर
अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर.... तू जिंदा है .

ये ग़म के और चार दिन, सितम के और चार दिन,
ये दिन भी जायेंगे गुज़र, गुज़र गए हज़ार दिन.
कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नज़र,
अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर...तू जिंदा है .

हमारे कारवां को मंजिलों का इंतज़ार है,
ये आँधियों, ये बिजलियों की पीठ पर सवार है.
तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम,
अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर... तू जिंदा है .

ज़मीं के पेट में पली अगन, पले हैं ज़लज़ले,
टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज ये,
मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम,
अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर...तू जिंदा है .

बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग ये,
न दब सकेंगे, एक दिन बनेंगे इन्कलाब ये,
गिरेंगे ज़ुल्म के महल, बनेंगे फिर नवीन घर,
अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर...तू जिंदा है .

English

If you are alive, believe in the victory of life,
If there are heavens somewhere, bring them down to the earth.

Four more days of grief, four more days of torture,
they shall pass, like a thousand days have before them
some day the spring will beam down upon this garden,
If there are heavens somewhere, bring them down to the earth

Our caravan is awaiting destination
while it rides on storms and lightning.
Come, walk in the step with us, we'll walk together
If there are heavens somewhere, bring them down to the earth

The fire and the fireballs have grown in the belly of this land
This rule of hunger and diseases will not be sustained
We will crush the difficulties and walk together
If there are heavens somewhere, bring them down to the earth

The fire in the belly is bad, the stains on this heart are bad
These cannot be suppressed, these will turn into a revolution one day,
The palaces of tyranny will be demolished, and new homes will be built
If there are heavens somewhere, bring them down to the earth.

RCSE
डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
ओटीएस पुलिया के सामने, जयपुर–302017
दूरभाषः 0141–2709846, 2700447 E-mail: modelschools.rcse@gmail.com
Web site- http://rajrmsa.nic.in/ , http://mhrd.gov.in/

अनुक्रमणिका

क्र.स.	विषय	पृष्ठ संख्या
1	**Overview – मॉडल स्कूल योजना क्या** 1.1 Background - पृष्ठ भूमि 1.2 Concept - अवधारणा 1.3 Aims & objectives -योजना का उद्देश्य 1.4 Scope of the project - विशेषताएं	1–3
2	**Financial Covenants- योजना हेतु वित्तीय व्यवस्थाएं** 2.1 योजना में प्रावधित राशि 2.2 अनावर्ती मद 2.3 आवर्ती मद 2.4 क्रय प्रक्रिया में ध्यान देने योग्य बिन्दु	4–9
3	**Phases to establish - मॉडल स्कूल स्थापना के चरण** 3.1 भूमि का आवंटन 3.2 निर्माण एवं हस्तान्तरण 3.3 शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉक्स की जिलेवार संख्या	10–11
4	**Managament of the School - प्रबन्धन** 4.1 राज्य स्तर 4.2 जिला स्तर 4.3 विधालय स्तर 4.4 विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति के दायित्व 4.5 विद्यार्थी परिषद का गठन 4.6 अभिभावक शिक्षक एसोसिएशन	12–16
5	**Operation of the School – विधालय संचालन** 5.1 भवन का नामकरण 5.2 शिक्षा शुल्क 5.3 जिला स्तर पर क्रय योग्य सामग्री 5.4 शिक्षा का माध्यम 5.5 शिक्षण की अवधि 5.6 सम्बद्धता (Affiliation) 5.7 दस्तावेजीकरण (Documentation) 5.8 वेब पेज 5.9 विद्यालय प्रबन्धन सूचना तंत्र 5.10 स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों के शिक्षकों हेतु ड्रेस कोड का निर्धारण 5.11 स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों हेतु यूनिफार्म का निर्धारण 5.12 स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल के संस्था प्रधानों के दायित्व 5.13 स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल के शिक्षकों के दायित्व 5.14 क्षमता संवर्द्धन एवं प्रशिक्षण 5.15 खेल कुद व सह शैक्षिक गतिविधियां 5.16 स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में संधारित किये जाने योग्य रिकार्ड	17–23
6	**Admission -प्रवेश प्रकिया** 6.1 दिशा–निर्देश 6.2 निर्धारित प्राथमिकताऐं 6.3 एड्स Affected/effected हेतु विशेष निर्देश 6.4 सत्र का प्रारम्भ 6.5 विद्यार्थियों की उपस्थिति	24–27
7	**Selection of Staff - स्टॉफ व्यवस्था** 7.1 प्रति मॉडल स्कूल कार्मिकों की स्थिति 7.2 पदवार अपेक्षित पात्रता एवं अनुभव	28–30
8	**Supervision and Inspection - निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण** 8.1 निरीक्षण हेतु निर्धारित मापदण्ड	31
9	**Convergence in Model Schools - मॉडल स्कूलों में कन्वर्जेन्स व्यवस्था** 9.1 शैक्षिक योजनाओं का नाम 9.2 मिड–डे मील 9.3 स्वास्थ्य परीक्षण	32–33

Overview – मॉडल स्कूल योजना क्या

1.1 Background - पृष्ठ भूमि :–

वैश्वीकरण के इस दौर में उदारीकरण की बढ़ती भूमिका के मद्देनजर वैज्ञानिक एवं तकनीकी संसार में भी आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं, जहां जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में गुणवत्ता सुनिश्चित करना हम सभी के लिए आवश्यक चुनौती बन गया है। शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्र के सुनहरे भविष्य की बात करें तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्तर जहां हमारा ध्यान केन्द्रित होना अपेक्षित है वह है 14 से 18 वर्ष का आयुवर्ग अर्थात माध्यमिक शिक्षा। इसी परिप्रेक्ष्य में शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉक्स में माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण एवं इसे गुणवत्तापूर्ण बनाने की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय विद्यालयों के पेटर्न के अनुरूप मॉडल स्कूल स्थापित किए जाने की पृष्ठभूमि तैयार की गई।

1.2 Concept - अवधारणा :–

शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉक्स में केन्द्रीय विद्यालयों के पैटर्न पर माध्यमिक स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये इन विद्यालयों की अवधारणा विकसित की गई है। इन स्कूलों का Infrastructure और सुविधाएं न्यूनतम उस स्तर की होंगी जो एक केन्द्रीय विद्यालय में होती है। स्कूलों में आदर्श छात्र शिक्षक अनुपात, आधुनिकतम सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग, सृजनात्मक शैक्षिक वातावरण, उपयुक्त पाठ्यचर्या के सम्बन्ध में मानदण्ड निर्धारित किए जाएंगे और विद्यार्थियों के All round development पर फोकस किया जायेगा। मॉडल स्कूल के Standard केन्द्रीय विद्यालय के समान होंगे।

1.3 Aims & Objectives -योजना का उद्देश्य :–

ब्लॉक स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाली माध्यमिक शिक्षा सुलभ कराना ताकि देश में प्रत्येक पिछड़े ब्लॉक में कम से कम एक स्कूल ऐसा उपलब्ध हो जो उक्त ब्लॉक में अन्य स्कूलों के लिए आदर्श स्थापित कर सके। विद्यार्थियों का चंहुमुखी व्यक्तित्व विकास करना प्रमुख लक्ष्य होगा। योजना के प्रमुख उद्देश्य है :–

- माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण की दिशा में प्रयास करना।
- शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध कराना।
- वंचित वर्गों के बालक–बालिकाओं की माध्यमिक शिक्षा का स्तर ऊँचा करना।
- आधुनिकतम तकनीक एवं विशेष सुविधाओं युक्त माध्यमिक स्तर के विद्यालयों की स्थापना करना।
- बालक–बालिकाओं के भौतिक, सामाजिक, नैतिक एवं सर्वांगीण विकास हेतु पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना।

1.4 Scope of the project - विशेषताएं

- स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल में मुहैया करायी जानेवाली शिक्षा सम्पूर्ण और समग्र प्रकार की होगी जिसमें शैक्षिक विकास के अलावा शारीरिक, भावनात्मक और कलात्मक विकास भी शामिल है।
- स्कूलों में अनुसूचित जाति के बालक बालिकाओं, अनुसूचित जन जाति के बालक – बालिकाओं, अन्य पिछड़ा वर्ग के बालक – बालिकाओं, अल्प संख्यक वर्ग के बालक – बालिकाओं, विधवा व परित्यक्ता की संतानों एवं विकलांगों को प्रवेश में विशेष प्राथमिकता दी जावेगी।
- मॉडल स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक अध्ययन अध्यापन का प्रावधान एवं सह शिक्षा की व्यवस्था होगी।
- स्कूलों में पर्याप्त सूचना और संचार प्रोद्योगिकी Infrastructure, इन्टरनेट कनेक्टिवटी और पूर्ण कालिक कम्प्यूटर शिक्षक उपलब्ध होंगे। विज्ञान, गणित और अग्रेजी भाषा के सम्प्रेषण पर विशेष जोर दिया जायेगा। यदि आवश्यक होगा तो अंग्रेजी विषय में कमजोर छात्रों के लिए Bridge Course एवं Remedial teaching भी संचालित होगीं।
- मॉडल स्कूलों में अंग्रेजी भाषा में शिक्षण व सम्प्रेषण पर विशेष बल होगा। विद्यालयों में English speaking skill विकसित करने के लिए विशेष प्रावधान रखा गया है।
- इन स्कूलों का वातावरण ऐसा होगा जिससे विद्यालयों में नेतृत्व के गुण, सहयोग की भावना, भागीदारी योग्यताएं, वास्तविक जीवन की परिस्थिति से जूझने के लिए सुलभ कौशल और योग्यता प्राप्त हो सके।
- इन स्कूलों में सामान्य मानदण्डों के अनुसार विषय–वार शिक्षकों के अलावा कला, चित्रकला व संगीत के शिक्षक भी उपलब्ध कराये जायेंगे। भारतीय विरासत तथा कला शिल्प पर जोर देते हुए विभिन्न गतिविधियों के लिए सुविधा सृजित की जायेगी।
- योजना में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार एक कक्षा में छात्र शिक्षक का आदर्श अनुपात 1:25 होना अपेक्षित है परन्तु शिक्षण कक्षों में कम से कम 40 छात्रों को समायोजित करने हेतु काफी विस्तृत स्थान उपलब्ध करवाया जावेगा एवं किसी भी परिस्थिति में शिक्षण कक्ष में छात्र अनुपात 1:40 से अधिक नहीं होगा।
- इन स्कूलों में आवश्यक Infrastructure facilities केवल शिक्षण आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए नहीं बल्कि खेलों और सह–पाठयक्रम सम्बन्धी गतिविधियों के लिए उपलब्ध करायी गई है जिससे इन विद्यालयों में विद्यार्थियों को खेलकूद, मनोरजंन, आधुनिकतम तकनीक से युक्त सह शैक्षिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त अवसर दिया जा सके।
- मॉडल स्कूलों में खेल के मैदान, आर.ओ.टी., आई.सी. लैब जैसी सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं। छात्रों और शिक्षकों के लिए स्तरीय अंग्रेजी माध्यम की पुस्तकों और पत्रिकाओं से सुसज्जित एवं आधुनिक सुविधायुक्त पुस्तकालय का प्रावधान रखा गया है।

- स्कूलों द्वारा राष्ट्रीय पाठयचर्या रूपरेखा 2005 (NCF, 2005) तथा सरकार द्वारा समय समय पर अपनाए गए अनुसार इसके पाठान्तरों का अनुसरण करना होगा।
- पाठ्यक्रम शिक्षण में स्थानीय संस्कृति और वातावरण को शामिल करना होगा और अध्ययन अध्यापन मुख्यतः गतिविधि आधारित होगा।
- विद्यार्थियों में स्वास्थ्य शिक्षा और स्वास्थ्य सम्बन्धी जांच को शुरू किया जायेगा।
- इन स्कूलों में निःशक्त बच्चों की आवश्यकता को पूरा करने की सुविधाएं होगी और विशेष शिक्षकों हेतु भी व्यवस्था की जावेगी।
- शिक्षा के अतिरिक्त क्षेत्रीय भ्रमण और शैक्षणिक दौरे स्कूल गतिविधि का अभिन्न अंग होगें।
- भविष्य में इन स्कूलों में छात्रों की शैक्षिक, भावनात्मक और व्यवहार सम्बन्धी आवश्यकताओं का समाधान करने के लिए मनोवैज्ञानिक सेवाएं ली जावेगी।
- स्कूलों में स्काउट व गाईड की व्यवस्था की जावेगी ताकि उनमें राष्ट्रत्व की भावना व अनुशासित जीवन बिताने की क्षमता आ सके।
- स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल ब्लाक के लिए आईकन साबित होंगे ताकि उस क्षेत्र के अन्य स्कूलों को भी मॉडल स्कूल में उपलब्ध सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो सके।

Financial Covenants- योजना हेतु वित्तीय व्यवस्थाएं

2.1 योजना में प्रावधित राशि

- पूर्व में स्वीकृत 134 मॉडल स्कूल हेतु अनावर्ती मद में प्रति मॉडल स्कूल भवन हेतु 3. 02 करोड़ की इकाई लागत निर्धारित की गई है जिसमें निर्माण कार्य, फर्नीचर, साज सज्जा, पेयजल व्यवस्था शामिल है अर्थात एक Functional मॉडल स्कूल हेतु 3.02 करोड़ की राशि प्रावधित है।
- शेष 52 मॉडल स्कूल के लिए राज्य की SSOR ds vk/kkj ij fuekZ.k ykxr Hkkjr ljdkj ls Lohd`r gksxhA आवर्ती मद में f'k{kdksa] dkfeZdksa ds osru vkfn dk okLrfod O;; ,oa निम्नांकित गतिविधियों (4750रू. प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष) का प्रावधान रखा गया है।

क्र.स.	गतिविधि का नाम
1	Repairs and Maintenance of school bulding, classrooms, rent for the school building, furniture and fixtures
2	labroratory consumables
3	School functions/sports acitivites/excursions
4	Conduct of Examinations
5	Maintenace of computers and soft-wares
6	Medical Care, First-aid kit etc
7	Misc. office expenses and contingencies including payment of electricity bilsls and warter charges etc.
8	Library facilities-e.g. purchase of books, magazines, etc, Taching Aids and Craft equipments etc. (for Nine months)

2.2 अनावर्ती मद :–

- यह राशि सत्र अन्त होने तक व्यय न होने पर अगले वर्ष बचत राशि के रूप में स्पिल ओवर हो जाती है।
- राज्य में स्वीकृत 160 मॉडल स्कूलों में से 71 मॉडल स्कूलों का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया गया है।

- निर्माण कार्य पर प्रति मॉडल स्कूल 2.80 करोड की राशि व्यय की गई एवं 22 लाख रू. प्रति मॉडल स्कूल का प्रावधान मॉडल स्कूलों में आधारभूत सामग्री के उपलब्ध कराने हेतु रखा गया है।
- अनावर्ती मद के अंतर्गत वर्ष 2014–15 में संचालित किए जा रहे 66 मॉडल स्कूलों को आधारभूत सामग्री उपलब्ध करवा दी गई है।

- इसके अतिरिक्त अनावर्ती मद की राशि से प्रति मॉडल स्कूल 1 लाख रू. की राशि सम्बन्धित जिलों को जारी की गई है जिसका उपयोग जिला स्तरीय क्रय समिति के माध्यम से/विद्यालय विकास प्रबन्धन समितियों के माध्यम से विद्यालय की आवश्यकतानुसार स्थायी सामग्री क्रय के लिये किया जा सकता है।
- समिति निर्णय लेकर मिड–डे मील हेतु आवश्यक बर्तन आदि की क्रय कर सकती है। समस्त सामग्री क्रय वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार किया जाना है।

2.3 आवर्ती मद

1. मॉडल स्कूल संचालन के लिए भारत सरकार द्वारा आवर्ती मद में राशि स्वीकृत की जाती है। आवश्यकतानुसार भारत सरकार द्वारा राशि स्वीकृति के मानदण्डों में संशोधन/परिवर्तन संभव है। अतः नवीनतम निर्देशों के अनुसार ही अनुपालना सुनिश्चित करें।
2. आवर्ती मद के अंतर्गत निम्नांकित 2 मदों में राशि व्यय का प्रावधान स्वीकृत है।
   अ. वेतन मद
   ब. शैक्षणिक गतिविधियों हेतु

अ. वेतन मद :–

1. राजकीय सेवा से प्रतिनियुक्त कार्मिकों का वेतन आहरण वर्तमान में वास्तविक वेतन के आधार पर किया जावेगा।
2. प्लेसमेंट एजेन्सी के माध्यम से निम्नांकित सेवाएं प्रत्येक स्कूल में ली जा सकेगी :–
   - 2 सहायक सेवा–प्रति सहायक सेवा 5000/– प्रतिमाह की दर से मानदेय एवं नियमानुसार सर्विस चार्ज एवं सर्विस टैक्स पृथक से देय होगा। पूर्व में जारी निर्देशों के अनुसार 4000 रू प्रति सहायक सेवा का प्रावधान था।
   - 2 चौकीदार सेवा–प्रति चौकीदार सेवा 6000/– प्रतिमाह की दर से जिसमें नियमानुसार सर्विस टैक्स एवं सर्विस चार्ज शामिल होगा।
3. मॉडल स्कूलों में चौकीदार सेवा मॉडल स्कूल के भवन हस्तान्तरण की तिथि से अथवा मॉडल स्कूल भवन में विद्यालय संचालन की तिथि से (जो भी पहले हो) ली जा सकेगी।

ब. मॉडल स्कूल संचालन हेतु प्रावधित बजट का उपयोग निम्नानुसार किया जावेगा :–

- विभिन्न गतिविधियाँ अलग–अलग 2 प्रकार के कार्यों का व्यय रिकॉर्ड रखने की दृष्टि से परिभाषित की गई है परंतु व्यय विद्यालय की आवश्यकतानुसार एवं संतुलित रूप से ही किया जावे।

Repairs and maintenance of school building furniture and fixtures :–

- प्राथमिकता से विद्यालय की साज सज्जा एवं भौतिक सुविधाओं की उपलब्धताओं पर व्यय।
- मॉडल स्कूल भवन पर नामकरण करवाया जाना, भवन के बाहर गेट पर नाम लिखवाया जाना, कक्षा–कक्ष की दीवारों, बरामदो, गलियारो में प्रसिद्व शिक्षा विदों के कोटेशन्स आदि लिखवाने में।
- मॉडल स्कूलों में इंटरनेट कनेक्टिविटी हेतु यदि टूट–फूट की आवश्यकता पर।
- मॉडल स्कूल के प्रत्येक कक्षा–कक्ष में आकर्षक चार्टस, पोस्टर्स, मॉडल्स आदि लगवाना।
- मॉडल स्कूल का वातावरण हरा–भरा रखने के लिए पेड़–पोधें, फूलों के पौधे आदि लगाना।
- विद्यालय की सम्पूर्ण साफ–सफाई व्यवस्था।

laboratory consumables :–

- मॉडल स्कूल के विद्यार्थियों में विज्ञान, गणित, जैसे कठिन विषयों के प्रति रूचि जागृत करने, जिज्ञासा पैदा करने के लिए आवश्यक सामग्री हेतु यह गतिविधि उल्लेखित की गई है।
- स्कूल का एक कार्नर विज्ञान कार्नर के रूप में विकसित करें इसमें विज्ञान के आकर्षक मॉडल्स, व प्रयोगात्मक सामग्री प्रदर्शित की जावे। विज्ञान के विभिन्न चमत्कारों को दर्शाने वाले Live experimental model रखें।
- इस कार्नर को फ्लाइंग क्लब का नाम दिया जावे। कार्नर में विज्ञान, गणित, भूगोल आदि के महत्वपूर्ण उपकरणों को स्थान दिया जावे। जैसेः–
  - Globe
  - Science & Maths equipments
  - Solar energy projects
  - Natural science से जुड़े projects
  - Micro Scope
  - विज्ञान व गणित में रूचि रखने वाले विद्यार्थियों को फ्लाइंग क्लब का सदस्य बनावें।

School functions/Sports activities/excursions :-

- विद्यार्थियों हेतु राज्यस्तरीय शैक्षिक भ्रमण कराया जाना
- विद्यार्थियों में आत्मविश्वास जाग्रत करने और सृजनात्मक शक्ति को बढ़ावा देने के लिए इस गतिविधि का प्रावधान है।
- सप्ताह में एक बार Stage function आवश्यक रूप से हो जिसमें बारी–बारी से प्रत्येक विद्यार्थी को अवसर मिले।
- प्रति सप्ताह शनिवार का दिवस Stage show हेतु निर्धारित किया जावे।
- खेलकूद गतिविधियों का अधिक से अधिक आयोजन करें। इसमें विद्यार्थियों को अपने हिसाब से सोचने और मन के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता होती है वहीं उसके परिणाम भी तुरंत दिखाई देने लगते हैं। बच्चे उत्साहित होते हैं। निम्नांकित Indoor व Out door खेल विद्यालयों में नियमित रूप से आयोजित किए जावें।

क्र.स.	खेल का नाम	क्र.स.	खेल का नाम
1	कैरम बोर्ड	7	फुटबाल
2	चाईनीज चैकर	8	गणित दौड़/एथलेटिक्स
3	शतरंज	9	म्यूजिकल चेअर
4	बैड मिंटन	10	बास्केट बाल
5	क्रिकेट	11	बॉलीबाल
6	हॉकी	12	कबड्डी
		13	खो–खो

Conduct of Examinations :-

- विद्यार्थियों की अर्द्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा के आयोजन हेतु समस्त गतिविधियां।
- सी.बी.एस.ई. सम्बन्धता प्राप्त करना।
- परीक्षा सम्बन्धी अन्य कार्यों का आयोजन करना।

Maintenance of computers and soft-wares:-

- प्रत्येक मॉडल विद्यालय में आई.सी.टी. लैब की स्थापना की जानी है। अतः मॉडल स्कूलों में उपलब्ध कराये गये 10 कम्प्यूटर्स की नेटवर्किंग हेतु निम्नांकित सामग्री इस गतिविधि में उपलब्ध कराई जा सकती है।
  - LAN 16 Port 10/100 MBPS unmanaged switch. (Linksys/D-Lik/Netgear/GISCO/Asus/TP-Link
  - CAT-6 LAN cable (Readymade)
  - PVC pipes and clips (Fixtures) for cabling.
    इस सामग्री का इंस्टालेशन व्यय भी इस मद से किया जावे।
- इंटरनेट/ब्राड बेण्ड कनेक्शन के लिये।
- विद्यार्थियों के शैक्षिक उन्नयन हेतु विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर जैसे–Functional English, Science quiz, Maths quiz, Games के इंस्टालेशन हेतु।

Medical Care, First-aid kit etc:-

- स्वास्थ्य परीक्षण मॉडल स्कूल संचालन की नियमित दिन–चर्या का हिस्सा बनाया जावे। इसके लिये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय कर विस्तृत कार्य येाजना बनाई गई है जिसे शीघ्र उपलब्ध कराया जावेगा।
- प्रत्येक मॉडल स्कूल में फर्स्ट एड किट की उपलब्धता आवश्यक है।
- किट की सम्भावित सामग्री निम्नानुसार है जिसमें आवश्यकतानुसार सामग्री जोड़ी जा सकता है :–

क्रैप बैण्डेज	जुकाम से संबंधित दवाईयाँ
विभिन्न प्रकार की पट्टी, रूई,	खॉसी से संबंधित दवाईयाँ
आयोडीन वाली एन्टीसेप्टिक क्रीम,	सामान्य बुखार से संबंधित दवाईयाँ
छोटी कैची	सिरदर्द से संबंधित दवाईयाँ
अति आवश्यक दवाईयाँ	फोडे–फुन्सी से संबंधित दवाईयाँ
पेट दर्द से संबंधित दवाईयाँ	जला/कटा हेतु मरहम
उल्टी से संबंधित दवाईयाँ	थर्मामीटर, डिटोल, बैण्डेड,

Misc. office expenses and contingencies including payment of electricity bills and water charges etc.:-

यह गतिविधि कार्यालय उपयोग, बिजली, पानी सुविधा एवं उन समस्त कार्यों के लिये है जो अन्य गतिविधियों में उल्लेखित नहीं हैं। विभिन्न विद्यालय कार्य जैसे– स्टेशनरी, फोटो स्टेट, स्केनिंग, स्पायरल बायन्डिंग के अतिरिक्त निम्नांकित व्यवस्थाएं मॉडल स्कूल में सुनिश्चित की जावे :–

1. आगामी 8वीं बोर्ड परीक्षा को देखते हुए एवं विद्यार्थियों की अंग्रेजी भाषा में कम्यूनिकेशन स्किल विकसित करने के लिए विद्यालय में अंग्रेजी विषय की अतिरिक्त कक्षा का प्रावधान स्वीकृत किया गया है। इसके लिये प्लेसमेन्ट एजेन्सी के माध्यम से कार्य आधारित सेवा ली जावे। प्रतिदिन विद्यालय समय पश्चात विद्यार्थियों के लिये 1 घण्टे की अतिरिक्त कक्षा की व्यवस्था की जावे। इसके लिये प्रतिमाह अधिकतम 6000/– का मानदेय दिया जा सकेगा। इसे Contingency में उल्लेखित किया जा सकेगा।
2. संचालित सभी मॉडल स्कूलों में क्षेत्रीय आवश्यकता निर्धारित कर अधिकतम क्षमता का RO/Water purifier आवश्यक रूप से जिला/विद्यालय स्तर पर क्रय कर उपलब्ध कराये जावे। इसे भी Contingency से किया जावेगा।

Library facilities-e.g. purchase of books, magazines, etc, Teaching Aids and Craft equipments etc. :-

- अंग्रेजी भाषा के दो समाचार पत्र मॉडल स्कूल पुस्तकालय में आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाया जावे।
- अंग्रेजी भाषा की रोचक मेगजीन जैसे–चम्पक, इण्डिया टूडे, टाईम्स आदि भी पुस्तकालय के लिये नियमित रूप से मंगवाई जावे।
- मॉडल स्कूल में स्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण पुस्तकालय स्थापित करने के लिये एन.सी.ई.आर.टी., एन.बी.टी. एवं प्रतिष्ठित प्रकाशकों की पुस्तकें क्रय की जावें। क्रय प्रक्रिया बी.एफ.एण्डआर. के नियमों को ध्यान में रखकर की जावे।
- कक्षा 7 एवं 8 हेतु अंग्रेजी माध्यम की पुस्तकें क्रय करने के लिये भी इसी गतिविधि का उपयोग किया जावे।
- प्रभावी शिक्षण कार्य हेतु शिक्षण सहायक सामग्री, सह शैक्षिक गतिविधियों के लिये क्राफ्ट, ड्राईंग सामग्री का क्रय भी इसी गतिविधि में किया जावे।
- English Language Lab की स्थापना का व्यय।

- विज्ञान प्रयोगशालाओं को Functional बनाए जाने हेतु आवश्यक स्थाई सामग्री एवं अन्य उपकरण क्रय किए जाने के संबंध में दिशा–निर्देश।

नोट :–

- भारत सरकार द्वारा समस्त गतिविधियों में राशि व्यय किए जाने की पृथक–पृथक सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अतः 4750/– प्रतिवर्ष प्रति विद्यार्थी हिसाब से ही राशि व्यय की जानी है।
- वर्ष 2014–15 में अधिकतम 9 माह (जुलाई 2014 से मार्च 2015 तक) ही राशि व्यय की जा सकेगी।
- उक्त राशि विद्यालय संचालन की वास्तविक तिथि से ही व्यय की जावेगी।

2.5 क्रय प्रक्रिया में ध्यान देने योग्य बिन्दुः–

- स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या एवं क्रय योग्य प्रस्तावित सामग्री की सूची तैयार की जावे।
- मॉडल स्कूल विकास एवं प्रबन्धन समिति के अंकित वित्तीय अधिकार के तहत क्रय प्रकिया की जावे।
- क्रय प्रक्रिया में सामग्री की गुणवत्ता का ध्यान रखा जावे।
- प्रत्येक क्रय की गई सामग्री का नमूना विद्यालय में उपलब्ध होना अपेक्षित है।
- यदि कोई फर्म सामग्री की आपूर्ति एवं गुणवत्ता में धोखा–धड़ी करती है तो फर्म का भुगतान रोककर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।
- क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज स्टॉक रजिस्टर में किया जावे।
- सभी प्रकार के क्रय निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप लेखा नियमों के अनुसार किया जावे।

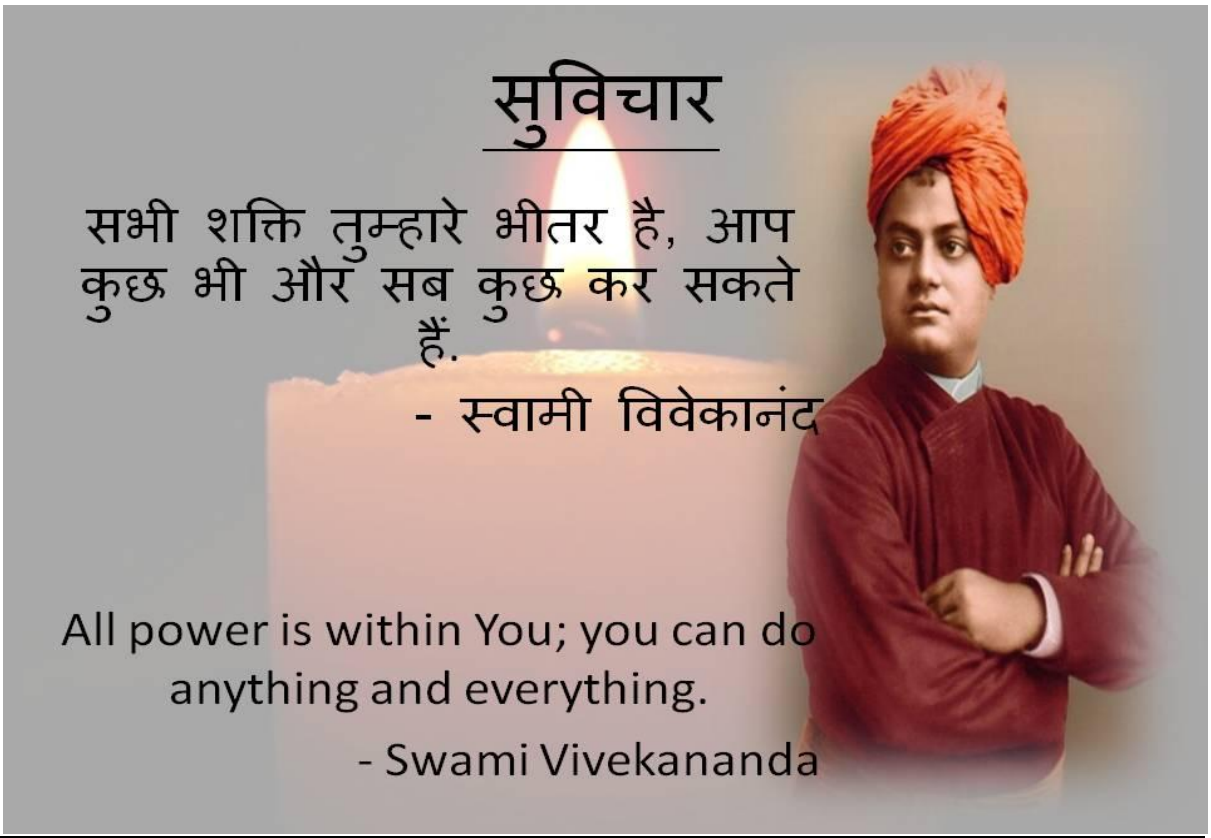

Phases to establish - मॉडल स्कूल स्थापना के चरण

3.1 भूमि का आवंटन –

- विद्यालय स्थापना हेतु जिला स्तर पर सम्बन्धित ब्लॉक में मॉडल स्कूलों के संचालन की दृष्टि से उपयुक्त न्यूनतम 5 एकड़ भूमि का चयन किया जाता है एवं चयनित भूमि का निःशुल्क आवंटन जिला कलक्टर के स्तर से किया जाता है। आवश्यकता होने पर राज्य सरकार भी सहयोग प्रदान करती है।
- आवंटित भूमि का मॉडल स्कूल के सफल संचालन की दृष्टि से भौतिक निरीक्षण कराया जाता है।
- निर्धारित प्रारूप में भूमि आवंटन के प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किए जाते हैं।
- भारत सरकार द्वारा अंतिम रूप से उक्त ब्लॉक में मॉडल स्कूल के भूमि प्रस्तावों का अनुमोदन किया जाता है।
- प्रत्येक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉक में एक मॉडल स्कूल स्थापित किया जाने का प्रावधान है।

3.2 निर्माण एवं हस्तान्तरण –

- भूमि को मॉडल स्कूल निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित क्रियान्वयन एजेन्सी को हस्तान्तरण कर निर्माण कराया जाता है।
- क्रियान्वयन एजेन्सी से मॉडल स्कूलों के निर्माण की सूचना पूर्ण होने पर मॉडल स्कूल के अधिग्रहण की कार्यवाही जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा द्वारा व उसके अधीनस्थ द्वारा की जाती है।
- अधिग्रहण कार्यवाही क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा निर्धारित हस्तान्तरण प्रपत्र में की जावे।
- हस्तान्तरण की प्रक्रिया तभी की जाती है जब मॉडल स्कूल में बिजली, पानी सुविधा हो व तय मापदण्डों अनुसार निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जावे।
- भारत सरकार द्वारा अब तक राज्य के 160 ब्लॉक्स के भूमि आवंटन प्रस्ताव स्वीकृत किये जा चुके हैं।

3.3 शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉक्स की जिलेवार संख्या :–

क्र. सं.	जिले का नाम	ई.बी.बी. ब्लॉक की संख्या	क्र.सं.	जिले का नाम	ई.बी.बी. ब्लॉक की संख्या
1	चित्तोडगढ़	11	18	सवाई माधोपुर	5
2	भीलवाड़ा	11	19	सिरोही	5
3	नागौर	11	20	बीकानेर	5
4	अलवर	10	21	बून्दी	4
5	पाली	10	22	दौसा	4
6	उदयपुर	9	23	धौलपुर	4
7	जोधपुर	9	24	झालावाड़	4
8	बासवाड़ा	7	25	करौली	4
9	भरतपुर	8	26	जैसलमेर	3
10	अजमेर	7	27	चुरू	1
11	बारां	7	28	गंगानगर	2
12	जयपुर	7	29	हनुमानगढ़	1
13	जालौर	7	30	कोटा	1
14	राजसमन्द	7	31	प्रतापगढ	5
15	बाड़मेर	6	32	झुन्झुनू	0
16	टोंक	6	33	सीकर	0
17	डुंगरपुर	5		***कुल योग***	***186***

Managament of the School - प्रबन्धन

4.1 राज्य स्तर :–

- राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद इस योजना के क्रियान्वयन हेतु नोडल एजेन्सी है।
- परिषद स्तर पर मॉडल स्कूल प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है जो मॉडल स्कूलों के प्रबन्धन एवं संचालन सम्बन्धी समस्त दायित्वों का निर्वहन करेगी।
- आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, रामाशिप के मार्गदर्शन में एक उपायुक्त, एक उपनिदेशक व दो सहायक निदेशक द्वारा योजना के सुचारू क्रियान्वयन सम्बंधी दिशा–निर्देश आवश्यकतानुसार प्रसारित किये जाते है।
- प्रकोष्ठ द्वारा समस्त संचालित मॉडल स्कूलों की मॉनिटरिंग का कार्य भी किया जाता है।
- राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद की शाषी परिषद एवं निष्पादक समिति ही मॉडल स्कूल योजना के तहत नीति निर्धारण एवं नियंत्रण का कार्य करती है।

4.2 जिला स्तर :–

- जिला स्तर पर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित निष्पादक समिति प्रबन्धन कार्य करती है। जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय संचालन समिति उक्त स्कूलों का मॉनिटरिंग दायित्व वहन करती है। समिति में निम्नानुसार सदस्य है :–

1.	जिला कलक्टर	अध्यक्ष
2.	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा)	सदस्य
3.	जिला शिक्षा अधिकारी (मा.शि) एवं जिला परियोजना समन्वयक, आर.एम.एस.ए.	सदस्य
4.	सम्बन्धित सहायक अभियन्ता, आर.एम.एस.ए.	सदस्य
5.	सहायक लेखाधिकारी, जि.शि.अ. (माध्यमिक)	सदस्य
6.	शिक्षाविद एवं एन.जी.ओ. का प्रतिनिधि (जिला कलक्टर द्वारा मनोनीत)	सदस्य
7.	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, आर.एम.एस.ए.	सदस्य सचिव

समिति के दायित्व इस प्रकार है :–

1. स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों के प्रशासनिक नियंत्रण का दायित्व जिला कलक्टर का होगा।
2. समिति की नियमित बैठक आयोजित कर मॉडल स्कूलों के संचालन की नियमित समीक्षा करना।
3. स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों का सम्बन्धित ब्लॉक में व्यापक प्रचार–प्रसार करना।
4. इन स्कूलों में प्रवेश हेतु निर्धारित संख्या के अनुसार शत–प्रतिशत छात्र–छात्राओं का प्रवेश सुनिश्चित करना।
5. स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में प्रवेश एवं संचालन में उत्पन्न विवादों की त्वरित समीक्षा एवं समाधान करना।
6. स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल संचालन में आने वाली कठिनाईयों का निराकरण करना।
7. जिला स्तर पर गठित क्रय समिति के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण एवं आवश्यकता आधारित सामग्री क्रय कर उपलब्ध करवाना।
8. स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों का समय–समय पर निरीक्षण करना एवं सम्बलन प्रदान करना।

9. स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों को Center of excellence बनाए जाने हेतु विभिन्न राजकीय विभागों की योजनाओं का लाभ दिलाना
10. भामाशाहों व दानदाताओं को प्रेरित कर स्कूलों में अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराना।

4.3 विधालय स्तर :–

- स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों का प्रबन्धन विद्यालय स्तर पर गठित विद्यालय विकास प्रबन्धन समिति के द्वारा किया जावेगा।
- विद्यालय विकास प्रबन्धन समितियों का संगठनात्मक स्वरूप निम्नानुसार होगा :–
  - समिति का नाम – विद्यालय विकास प्रबन्धन समिति।
  - राजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत इनका पंजीयन रजिस्ट्रार सहकारी विभाग से कराया जाता है।
  - रजिस्ट्रेशन फीस विद्यालयों रख–रखाव अथवा Contingency गतिविधि के अंतर्गत की जा सकती है।
  - विद्यालय विकास प्रबन्धन समितियों का बैंक खाता खुलवाया जावे एवं पृथक कैश बुक संधारित की जावे। विद्यालय विकास प्रबन्धन समिति के व्यय के लिये लेजर का संधारण किया जाता है।
  - समिति का कार्यक्षेत्र सम्बन्धित मॉडल स्कूल एवं उसके क्षेत्राधिकार में आने वाले विद्यार्थियों के निवास स्थान तक सीमित होगा परन्तु विकास कार्य केवल विद्यालय परिसर में ही कराये जा सकेगें।
  - समिति के उद्‌देय, समस्त कार्य, अधिकार एवं कर्त्तव्य आर.एम.एस.ए. के तहत गठित समितियों के अनुसार ही निर्धारित किये गये हैं।
  - जिला स्तर पर विकास प्रबन्धन समितियों की मॉनिटरिंग जिला स्तरीय समिति द्वारा एवं राज्य स्तर पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा की जावेगी।

क्र.स.	रामाशिअ के मानदण्डों के अनुसार गठित समिति के सदस्य
1.	प्राचार्य/प्रधानाचार्य – अध्यक्ष
2.	एस.सी/एस.टी. समुदाय का एक व्यक्ति – सदस्य अभिभावकों में से एक महिला – सदस्य अभिभावकों में से एक व्यक्ति – सदस्य
3.	वाइस प्रिन्सीपल – सदस्य सामाजिक विज्ञान का एक अध्यापक – 1 सदस्य विज्ञान का एक अध्यापक – 1 सदस्य गणित का एक अध्यापक – 1 सदस्य
4.	पंचायत शहरी स्थानीय निकाय के सदस्य – 2 सदस्य
5.	ऑडिट व वित्त विभाग का एक व्यक्ति – 1 सदस्य
6.	शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति – 1 सदस्य महिला समूहों का सदस्य – 1 सदस्य ग्राम शिक्षा विकास समिति का सदस्य – 1 सदस्य विज्ञान, मानविकी एवं कलाा/संस्कृति/क्राफ्ट की पृष्ठभूमि वाले जिला परियोजना समन्वयक द्वारा मनोनीत व्यक्ति – 3 सदस्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मनोनीत अधिकारी – 1 सदस्य
7.	विद्यालय का वरिष्ठतम शिक्षक – 1 सदस्य सचिव

- विद्यालय विकास प्रबन्धन समिति के अतिरिक्त सदस्य के रूप में उस ब्लॉक के चिकित्सक प्रभारी द्वारा मनोनीत चिकित्सक को अवश्य शामिल किया जावे।
- समिति की बैठक नियमित रूप से आयोजित की जावे एवं 15 दिवस में कम से कम एक बार अवश्य हों।

4.4 विद्यालय विकास प्रबन्धन समिति के दायित्व :–

1. विद्यालय विकास प्रबन्धन समिति विद्यालय की प्रत्येक गतिविधि यथा नियोजन सेमिस डाटा संकलन, विद्यालय संचालन सहशैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन, निरीक्षण व पर्यवेक्षण, मूल्यांकन आदि के लिए उत्तरदायी होगी।
2. समिति विद्यालय के आधारभूत संरचनात्मक विकास के साथ–साथ शैक्षणिक विकास के लिए जिम्मेदार होगी।
3. विद्यालय विकास के लिए किया जाने वाला समस्त क्रय इन समितियों के माध्यम से किया जा सकेगा चाहे वो आवर्ती हो या अनावर्ती।
4. समिति के मुख्य दायित्व है :–

1- Planning 2- Estimation 3- Management 4- Monitoring 5- Supervision 6- Reporting 7- Maintenance of accounts	8- Monthly setting up of accounts 9- Presenting account balance 10-Quality improvements 11-Equity 12-Teachers and students attendance 13-Community mobilization

5. क्रय की गई सामग्री का भुगतान चैक द्वारा एस.डी.एम.सी. के प्रावधानुसार अध्यक्ष एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जा सकता है।

- इस समिति के अधीन दो उपसमितियों का भी गठन किया जाना है जिनका विवरण इस प्रकार है :–

क्र.स.	विद्यालय विकास समिति की उपसमिति का नाम	उपसमिति में चयन किए जाने वाले सदस्य	उपसमिति का कार्य
1.	विद्यालय विकास समिति (School Buliding Committee)	1. प्राचार्य/प्रधानाध्यापक–अध्यक्ष 2. पंचायत या स्थानीय शहरी निकाय के प्रतिनिधि–1 सदस्य 3. अभिभावक – 1 सदस्य 4. निर्माण कार्य से जुड़े अनुभवी व्यक्ति–SSA के इंजीनियर–1सदस्य 5. लेखा/ऑडिट शाखा का व्यक्ति–1 सदस्य	1. विद्यालय विकास समिति के खातों का संधारण। 2. योजना निर्माण, प्रबन्धन, मॉनीटरिंग, पर्यवेक्षण, रिपोट प्रस्तुतीकरण 3. सभी प्रकार के निर्माण कार्य यथा नये निर्माण, मरम्मत, रखरखाव आदि
2.	शैक्षिक समिति (Academic Committee)	1. प्राचार्य/प्रधानाचार्य–अध्यक्ष 2. अभिभावक–1 सदस्य 3. निम्न में से प्रत्येक क्षेत्र का एक विशेषज्ञ–(1) विज्ञान या गणित (2) मानविकी (3) कला/संस्कृति/क्राफ्ट/खेलकूद आदि प्रत्येक क्षेत्र का विशेषज्ञ–3 सदस्य 4. प्राचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा चयनित विद्यार्थी–1	1. SEMIS के लिए आंकडों का संग्रहण, मॉनिटरिंग एवं प्रबन्ध। 2. सभी प्रकार का शैक्षिक गतिविधियां। 3. शिक्षा में गुणवत्ता सुधार 4. शिक्षा में लिंग विभेद व अन्य सामाजिक अडचनों को दूर करना। 5. पाठ्य सहगामी व पाठ्येत्तर गतिविधियों का आयोजन, नियन्त्रण आदि। 6. शिक्षक व विद्यार्थियों की उपस्थिति 7. विद्यार्थियों की उपलब्धि 8. विद्यार्थियों व शिक्षकों का शैक्षिक व व्यक्तित्व विकास। 9. शिक्षकों को प्रशिक्षण, निर्देशन व काउन्सलिंग के लिए नामित करना।

विद्यालय प्रबंधन समिति :– विद्यालय में मिड डे मील प्रारंभ करने हेतु विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन निम्नानुसार किया जाना है :–

1	अध्यक्ष	समिति की साधारण सभा द्वारा उसके माता–पिता या संरक्षक सदस्यों में से कार्यकारिणी समिति हेतु निर्वाचित 11 सदस्यों में से कार्यकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा निर्वाचन।
2	उपाध्यक्ष	समिति की साधारण सभा द्वारा उसके माता–पिता या संरक्षक सदस्यों में से कार्यकारिणी समिति हेतु निर्वाचित 11 माता–पिता या संरक्षक सदस्यों में से कार्यकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा निर्वाचन।
3	सदस्य (11)	साधारण सभा द्वारा उसके माता–पिता या संरक्षक सदस्यों में से कार्यकारिणी समिति हेतु निर्वाचित 11 सदस्य, जिनमें से कम से कम 6 महिलाएं, 1 अनुसूचित जाति व 1 अनुसूचित जनजाति से संबंधित हो।
4	पदेन सदस्य (1)	ग्राम पंचायत/नगर पालिका के जिस वार्ड में विद्यालय स्थित है, उस वार्ड का वार्ड पंच/पार्षद।
5	पदेन सदस्य सचिव (1)	वरिष्ठतम अध्यापक।
6	निर्वाचित अध्यापक	विद्यालय के अध्यापकों द्वारा समिति हेतु निर्वाचित एक अन्य महिला अध्यापक (यदि उपलब्ध हो तो) अन्यथा पुरूष अध्यापक।
7	मनोनीत शिक्षा शास्त्री/बालक सदस्य (1)	समिति के माता–पिता या संरक्षक सदस्यों द्वारा मनोनीत स्थानीय शिक्षा शास्त्री अथवा विद्यालय का बालक
	कुल सदस्य	15

नोट :– विद्यालय विकास प्रबंधन समिति एवं विद्यालय प्रबंधन समिति में सदस्य सचिव का दायित्व विद्यालय के वरिष्ठतम शिक्षक को ही दिया जावे ताकि दोनों समितियों में समन्वित तरीके से कार्य संपादन हो सके।

4.5 विद्यार्थी परिषद का गठन :–

स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों के सफल एवं पारदर्शी संचालन के लिए विद्यार्थी परिषद का गठन किया जावे। विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों का मनोनयन संस्था प्रधान द्वारा किया जावेगा। संस्था प्रधान विद्यालय के सर्वाधिक मेघावी एवं सक्रिय विद्यार्थी को अध्यक्ष के रूप में मनोनीत करें।

अध्यक्ष :–

संस्था प्रधान को अनुशानात्मक गतिविधियों में सहयोग करना एवं विद्यार्थियों की समस्याओं से संस्था प्रधानों को अवगत करना एवं उनका समाधान करवाना।

उपाध्यक्ष :–

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में जो कार्य अध्यक्ष को करने होते हैं, उपाध्यक्ष उनका निर्वहन करेगा। साथ ही विद्यालय के अनुशासन में संस्था प्रधान एवं अध्यक्ष को सहयोग प्रदान करेगा।

संयुक्त सचिव के दायित्व :–

परिषद में संयुक्त सचिव का कार्य अध्यक्ष एवं संस्था प्रधान को गतिविधियों एवं विद्यार्थियों की मांगों का विवरण तैयार कर देना होगा। इसके अतिरिक्त गतिविधिवार सचिव बनाए जाने व उनका कार्य विभाजन भी किया जावे।

सांस्कृतिक सचिव –

सांस्कृतिक सचिव समस्त सहशैक्षिक गतिविधियों के आयोजन का दायित्व निर्वहन करने के साथ ही सांस्कृतिक गतिविधियों को समय समय पर आयोजित करवाने तथा विद्यार्थियों को

विशेष अवसरों पर उनके द्वारा किये गये सराहनीय कार्यों के लिये सम्मानित करवाने में मदद करेगी।

शैक्षिक सचिव –

- विद्यार्थियों के लिये शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन करना जैसे प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम तथा अन्य ऐसे कार्यक्रमों की गतिविधियों का संचालन करना जो विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में सहायक हो जैसे अन्तर–संकाय शैक्षिक प्रतियोगिता।
- विद्यालय में हाउस बनाकर Inter house competition आयोजित किये जाने में सहयोग करना।

स्वास्थ्य सचिव –

विद्यार्थियों की स्वास्थ्य सम्बन्धित जांच एवं विद्यालय में सफाई कार्य का निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही/सुझाव रजिस्टर में अंकित करेगा। किसी विद्यार्थी को स्वास्थ्य सम्बन्धी परेशानी होने पर संस्था प्रधान को सुचित एवं सहयोग करेगा।

भोजन सचिव –

विद्यालय में दिये जाने वाले मिड–डे मील की व्यवस्थाओं का पर्यवेक्षण सुनिश्चित करेगा।

विद्यार्थी परिषद के संयुक्त दायित्व :–

- विद्यार्थी परिषद की बैठक सप्ताह में एक दिन शनिवार को आयोजित की जावे जिसमें सभी गतिविधि सचिव भाग लेगें। बैठक में चर्चित बिन्दुओं एवं प्राप्त सुझावों का लिखित प्रतिवेदन एक रजिस्टर में संधारित कर सभी उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर करवाए जावे।
- स्कूल में अधिकाधिक गतिविधियों के आयोजन की रूपरेखा तैयार की जावे।
- विद्यार्थी परिषद की बैठक में संस्था प्रधान विद्यार्थियों की शैक्षिक, स्वास्थ्य सम्बन्धी एवं अन्य समस्याओं की जानकारी प्राप्त कर लेखा जोखा रखें।

4.6 अभिभावक शिक्षक एसोसिएशन :–

- प्रत्येक स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल में अभिभावक शिक्षक एसोसिएशन का गठन किया जावे।
- एसोसिएशन की बैठक माह में एक बार आवश्यक रूप से आयोजित की जावे।
- प्रत्येक कक्षा अध्यापक अभिभावकों का एक सुझाव/शिकायत रजिस्टर संधारित करेगा।
- रजिस्ट्रेशन अभिभावकों द्वारा समय–समय पर उठाई गई समस्याओं व समाधान का इन्द्राज किया जावेगा।

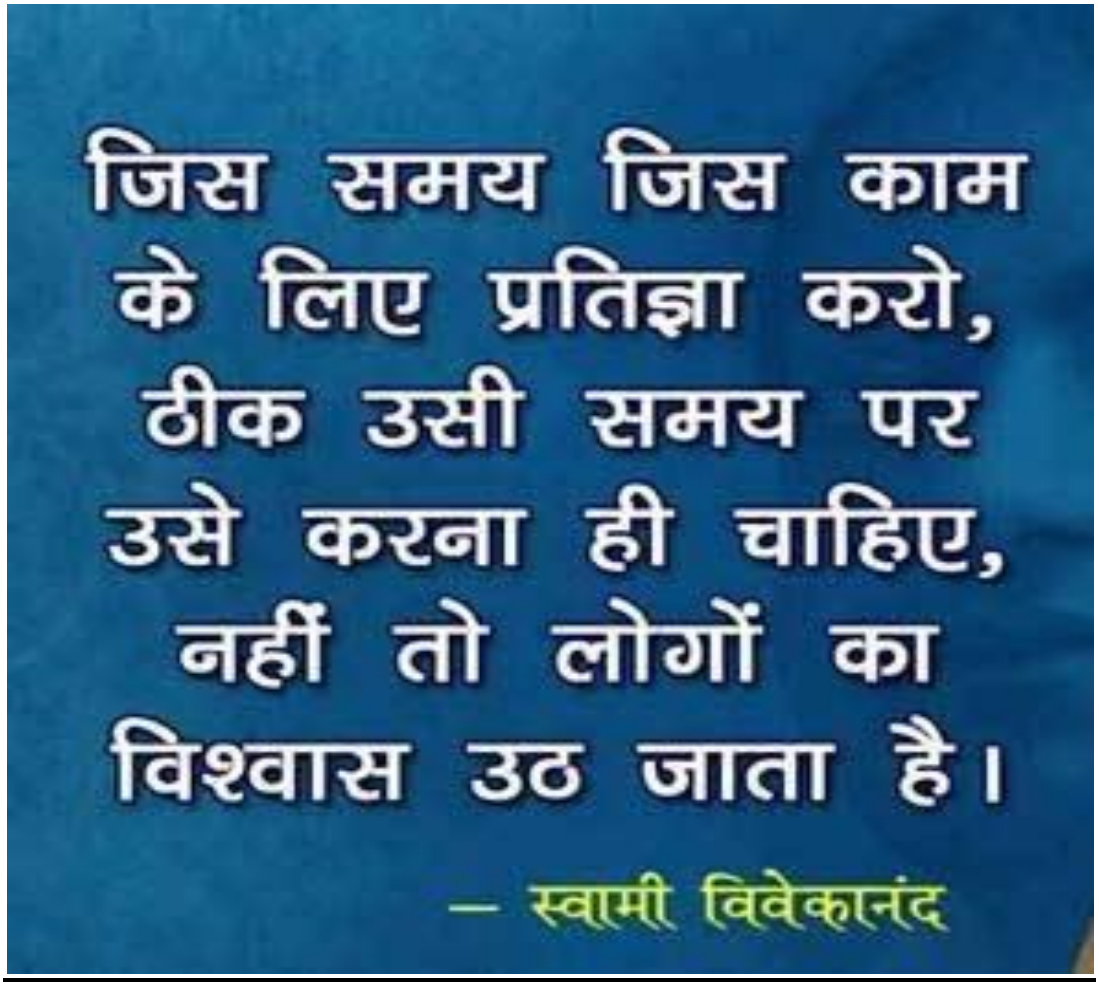
जिस समय जिस काम
के लिए प्रतिज्ञा करो,
ठीक उसी समय पर
उसे करना ही चाहिए,
नहीं तो लोगों का
विश्वास उठ जाता है।
– स्वामी विवेकानंद

Operation of the School – विधालय संचालन

5.1 भवन का नामकरण

- मॉडल स्कूलों का नाम स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल रखा गया है।
- विद्यालय के मुख्य भवन पर निम्नानुसार कलर स्कीम में इसका नाम लिखवाया जाना है।

- स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल भवन के बाह्य गेट पर अंग्रेजी भाषा में लोहे के बोर्ड पर नाम लिखवाया जावे। बोर्ड पर 'लोगो' भी अंकित किया जावे।
- स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था हेतु दो चौकीदार का प्रावधान रखा गया है। अतः इसकी सुरक्षा व्यवस्था का संयुक्त दायित्व मॉडल स्कूल विद्यालय प्रबन्धन समिति एवं सम्बन्धित संस्था प्रधान का है।

5.2 शिक्षा शुल्क

- स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों से किसी प्रकार का शिक्षा शुल्क नहीं लिया जावेगा।

5.3 उपलब्ध सामग्री –

- स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में कक्षा 6 से 8 तक विद्यालय की आवश्यकतानुसार आधारभूत फर्नीचर, कम्प्यूटर आदि की आपूर्ति अनावर्ती राशि से निम्नानुसार उपलब्ध कराई गई है :–

S.No.	Item Name	Quantity available per model school
1	Dual Desk	120
2	Computer	10
3	Green board	6
4	Steel sheling cabinet	2
5	Steel office chair	7
6	Computer chair	12
7	Computer chari (adjustable cum reuduiuqtyee)	7
8	Computer table	12

9	office visitor chair	6
10	Principal office chair	1
11	Principal table	1
12	Office table	6
13	Steel office chair	5
14	Writing Bord (1200X2400MM)	1
15	Writing Bord (900X1200 MM)	2
16	Moudular table (staff)	2

- सत्र 2015–16 से प्रारम्भ की जाने वाली कक्षा 9 के लिये आवश्यक फर्नीचर एवं सामग्री शीघ्र उपलब्ध करा दी जावेगी।
- जिला स्तर पर अन्य सामग्री क्रय हेतु अनावर्ती राशि में से प्रति मॉडल स्कूल 1 लाख रू. की राशि जारी की गई है।
- उक्त 1 लाख रू. की राशि का व्यय बालिका छात्रावास व्यय हेतु जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति द्वारा अथवा विद्यालय विकास प्रबन्धन समिति द्वारा किया जा सकता है।
- समस्त क्रय प्रक्रिया उपलब्ध बजट प्रावधानों के तहत एवं जी.एफ.एण्ड आर. व पारदर्शित एक्ट की पालना सुनिश्चित करते हुए की जावे।
- सामग्री क्रय में पूर्ण गुणवत्ता एवं क्रय नियमों की पालना में सुनिश्चित की जावे।
- जिला स्तर पर क्रय करने योग्य सामग्री की संभावित सूची निम्नानुसार दी हुई है परन्तु विद्यालयी आवश्यकता एवं समिति की राय के अनुसार अतिरिक्त सामग्री जोड़ी जा सकती है।

क्र.सं.	सामग्री	क्र.सं.	सामग्री
1.	ओपन रैक	8.	बैड मिंटन
2.	बैल इलेक्ट्रानिक	9	बॉली वाल
3.	माईक सैट विद एम्पलीफायर	10	कैरम बार्ड
4.	फर्स्ट ऐड बॉक्स	11	फर्श
5.	हॉरमोनियम	12	लेक्चर स्टेंड
6.	ढोलक/तबला	13	आलमारी
7.	कांगो ड्रम	14	बुक शैल्फ

5.4 शिक्षा का माध्यम :–

- मॉडल स्कूल में कक्षा 6 से 12 संचालित की जावेगी।
- सत्र 2014–15 से मॉडल स्कूलों में कक्षा 6 से 8 का संचालन किया जा रहा है जिसमें कक्षा 6 में सभी विषयों का अध्ययन–अध्यापन कार्य हिन्दी भाषा में कराये जाने का प्रावधान रखा गया है।
- कक्षा 7 में विज्ञान विषय एवं कक्षा 8 में विज्ञान एवं गणित विषयों का अंग्रेजी भाषा में शिक्षण कराया जा रहा है।
- आगामी सत्र से कक्षा 9 में सभी विषयों का शिक्षण कार्य अंग्रेजी माध्यम से कराया जाने का प्रावधान है।

- अंग्रेजी माध्यम की पुस्तकें क्रय करने के लिये आवर्ती मद में उल्लेखित गतिविधि Library facilities purchase of books magazines etc. teaching aids and craft equipment से उपयोग किया जा सकता है।
- मॉडल स्कूलों में आगामी सत्र 2015–16 से केन्द्रीय विद्यालय पैटर्न को आधार मान कर शैक्षणिक पंचाग लागू किया जावेगा। अतः पुस्तकें भी सी.बी.एस.ई. के मानदण्डों अनरूप सी.सी.ई. आधारित लागू होगी, जिसके विस्तृत दिशा–निर्देश सत्र आरम्भ होने से पूर्व दिए जावेंगे।

5.5 शिक्षण की अवधि

- शिक्षकों के लिये अतिरिक्त समय का विशेष प्रावधान–मॉडल स्कूलों में विद्यार्थियों हेतु निर्धारित समयावधि के अतिरिक्त संस्था प्रधान, शिक्षकों एवं अन्य स्टॉफ के लिये 1.30 घण्टे के अतिरिक्त ठहराव की व्यवस्था की गई है। समस्त स्टॉफ विद्यालय समय से आधा घण्टा पूर्व आगमन एवं विद्यालय समय के 1 घण्टा पश्चात प्रस्थान करेगा। इस समय का उपयोग वे अगले दिवस की कार्य योजना तैयार करने, गृह कार्य की बारीकी से जांच करने, प्रोजेक्ट कार्यों व अन्य सहशैक्षिक गतिविधियों के आयोजन पर देगें।
- अंग्रेजी सम्प्रेषण की विशेष कक्षाओं का आयोजन विद्यालय समय के पूर्व/पश्चात रखा जा सकेगा।

5.6 संबद्धता (Affiliation) :–

आठवीं बोर्ड परीक्षा के निर्देश :–

शैक्षणिक कलैण्डर एवं समय सारिणी लागू करने के संबंध में सामान्य निर्देश प्रार्थना सभा को प्रभावी बनाए जाने।

5.7 दस्तावेजीकरण (Documentation) :-

- मॉडल स्कूल में आयोजित की जाने वाली प्रत्येक गतिविधि का डाक्यूमेंटशन किया जाना आवश्यक है। मॉडल स्कूल को अलग पहचान दिलाने की दिशा में स्कूल के नवाचारों, प्रगति एवं उपलब्धियों का रिकार्ड आकर्षक रूप में संधारित किया जावे।
- विद्यालय स्तर पर प्रत्येक स्टाफकर्मी का पहचान पत्र बनाया जावे।
- प्रत्येक विद्यार्थी का पहचान पत्र बने। पहचान पत्र पर मॉडल स्कूल का लोगो भी अंकित किया जावे।
- विद्यालय की गतिविधिवार फाईल तैयार की जावे जिसमें उस गतिविधि से सम्बन्धित कवरेज, फोटोग्राफ्स आदि का रिकार्ड संधारित किया जावे।
- प्राचार्य कक्ष, विद्यालय गैलेरी में Photographs का Display भी किया जावे।
- विद्यार्थी डायरी तैयार कर प्रत्येक विद्यार्थी को उपलब्ध कराई जावे।

5.8 वेब पेज

- प्रत्येक मॉडल स्कूल का वेब पृष्ठ तैयार किया जाना हैं जिसमें विद्यालय के प्रबन्धन संचालन एवं उपलब्धियों से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं होगीं।
- इसे नियमित रूप से अपडेट किया जावेगा जो विद्यालय द्वारा स्वयं ही लॉगिन–पासवर्ड से अद्यतन किया जावे।
- प्रत्येक शिक्षक एवं प्रत्येक विद्यार्थी की प्रोफाईल भी वेब पृष्ठ पर उल्लेखित होगी।

5.9 विद्यालय प्रबन्धन सूचना तंत्र

- प्रत्येक मॉडल स्कूल की प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु विद्यालय सूचना प्रबन्ध प्रणाली विकसित की जा रही है जिसकी सहायता से निम्न कार्य किये जावेगें :–

विद्यालय सूचना प्रबन्धन
छात्र सूचना प्रबन्धन
शिक्षक सूचना प्रबन्धन
परीक्षा प्रणाली प्रबन्धन
पाठ्यक्रम प्रबन्धन
एस.एम.एस की सुविधा

- इस प्रणाली में प्रत्येक विद्यालय को एक लॉगिन व पासवर्ड प्रदान किया जावेगा, जिसके द्वारा वह उपरोक्त सूचनाओं का ऑनलाईन अंकन कर करेगा।

5.10 मॉडल स्कूलों के स्टॉफ हेतु ड्रेस कोड का निर्धारण :–

- स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में नवाचार के रूप में शिक्षकों के लिए भी ड्रेस कोड लागू किया गया है। 15 जनवरी 2015 से निम्नुनसार ड्रेस व कलर कोड लागू होगा।

Principal/ Teacher/other staff –Male

.

S.No	Summer dress cum colour code	Winter dress cum colour code
1.	Sky bule shirt	Sky bule shirt
2.	Corprate blue tie	Corprate blue tie
3.	Steel grey trouser	Steel grey trouser
4.	Steel grey socks	Steel grey socks
5.	Black shoes	Black shoes
6.	-	Half sweater-Grey/Blue
7.	-	Corporate blue blazer

Principal/ Teacher/other staff -Female

S.No	Summer dress cum colour code	Winter dress cum colour code
1.	Sky bule colour saree with Corporate blue border	Sky bule colour saree with Corporate blue border
2.	Sky bule Kurta & Corporate blue salwar/chudidar	Sky bule Kurta & Corporate blue salwar/chudidar
3.	Corporate blue blouse (in case of saree)	Corporate blue blouse (in case of saree)
4.	Grey socks with sandal/shoes	Grey socks with sandal/shoes
5.		Corporate blue blazer/ Corporate blue shawl/Cardingan

5.11 स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों हेतु यूनिफार्म का निर्धारण :–

- मॉडल स्कूलों में विद्यार्थियों हेतु निर्धारित की गई यूनिफार्म का सत्रवार विवरण इस प्रकार है :–

ग्रीष्म कालीन सत्र

क्र.स	छात्रों हेतु	छात्राओं हेतु
1.	सफेद रंग की शर्ट	सफेद रंग की शर्ट
2.	ग्रे पेन्ट	ग्रे स्कर्ट
3.	ग्रे मोजे	ग्रे मोजे
4	ग्रे टाई	ग्रे टाई
5	ब्लेक शूज	ब्लेक शूज

शीतकालीन सत्र

क्र.स	छात्रों हेतु	छात्राओं हेतु
1.	सफेद रंग की शर्ट (पूरी आस्तीन)	सफेद रंग की कमीज (पूरी आस्तीन)
2.	ग्रे पेन्ट (गर्म)	ग्रे सलवार एवं ग्रे चुन्नी
3.	ग्रे हॉफ स्वेटर (वी शेप)	ग्रे हॉफ स्वेटर (वी शेप)
4	नेवी ब्लू ब्लेजर	नेवी ब्लू ब्लेजर
5	ग्रे मोजे	ग्रे मोजे
6	ग्रे टाई	ग्रे टाई
7	ब्लेक शूज	ब्लेक शूज

- स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल स्टॉफ के ड्रेसकोड एवं विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म पर होने वाला व्यय योजना में प्रावधानित नहीं है। कार्मिकों एवं विद्यार्थियों के अभिभावकों को यह व्यय स्वयं वहन करना होगा।
- विद्यालय की यूनिफार्म को व्यय अभिभावकों द्वारा ही वहन किया जावेगा परन्तु विद्यालय विकास प्रबन्धन समिति द्वारा भामाशाहों/दानदाताओं को प्रेरित कर विद्यार्थियों को यूनिफॉम दिलवाई जा सकती है।

5.12 स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल के संस्था प्रधानों के दायित्व :–

विद्यालय प्रबन्धन एवं संचालन में संस्था प्रधान की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। एक सुदृढ़ नेतृत्व ही विद्यालय के विकास को सही दिशा देता है :–

- संस्था प्रधान को प्रत्येक माह, प्रत्येक सप्ताह एवं प्रतिदिन की कार्य योजना अग्रिम तैयार करनी होगी।
- इस कार्य योजना का विद्यालय के शिक्षकों में संतुलित विभाजन कर इसकी नियमित मॉनिटरिंग एवं सुपरविजन किया जाना होगा।
- विद्यालय में विभिन्न प्रकार की पाठ्य सहगामी गतिविधि (सी.सी.ए.) का आयोजन करना होगा।
- विद्यार्थियों की रूचि एवं आवश्यकता के अनुसार प्रोजेक्ट कार्य का योजना बनाना एवं सम्पादन कराना होगा।
- विद्यार्थियों के नियमित रूप से शैक्षिक भ्रमण की व्यवस्था करवानी होगी।
- प्रार्थना सभा में प्रत्येक सप्ताह में एक बार अनिवार्य रूप से अंग्रेजी भाषा में अभिव्यक्ति (समाचार, विषय आधारित प्रार्थना, एवं अन्य) को अवसर दिया जाना अपेक्षित है।
- विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम के न्यूज पेपर की व्यवस्था करना।
- संस्था प्रधान द्वारा नियमित रूप से विद्यालय गतिविधि रजिस्टर का Review कर Action taken report के कॉलम में की गई कार्यवाही का उल्लेख किया जावेगा।

5.13 स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल के शिक्षकों के दायित्व :–

- आधुनिकतम तकनीक का प्रयोग कर शिक्षण कार्य करना।
- विद्यार्थियों का नामांकन वृद्धि एवं ठहराव सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी प्रयास करना।
- परीक्षा परिणाम उन्नयन, अंग्रेजी सम्प्रेक्षण की कोशल विकास के लिये प्रभावी रूप रेखा तैयार कर कियान्वयन करना।

- पाठ्य सहगामी गतिविधि (सी.सी.ए.) खेलकूद, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता, प्रोजेक्ट कार्य, सृजनात्मक कार्य, वाद–विवाद आदि का आयोजन करवाना।
- विद्यार्थियों के साथ भावनात्मक जुडाव स्थापित करना।
- विद्यार्थियों की अन्तर्निहित क्षमताओं को पहचान कर उन्हें अवसर प्रदान करना।
- **सत्र 2014–15 में 8वीं बोर्ड के परिक्षा परिणामों को भी शिक्षक की कार्य क्षमता का आधार माना जावेगा एवं उनकी प्रतिनियुक्ति अवधि तदनुसार ही बढ़ाई जा सकेगी।**

5.14 क्षमता संवद्धन एवं प्रशिक्षण

- मॉडल स्कूलों में प्रतिनियुक्त संस्था प्रधानों हेतु एक दिवसीय Foundation training राज्य स्तर पर आयोजित करना।
- केन्द्रीय विद्यालय संगठन के सहयोग से Intensive training course progarmme आयोजित करवाना।
- संस्था प्रधानों के लिये लीडरशीप प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन।
- विषय अध्यापकों के लिये प्रभावी शिक्षण विधाओं पर आधारित Refresh training आयोजन।
- Vocational education programme पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन।
- Time management एवं Quality management प्रशिक्षण का आयोजन।
- विद्यार्थियों के लिये Self defence skill प्रशिक्षण का आयोजन।
- ICT lab के प्रभावी एवं अधिकाधिक उपयोग के लिये Orientation Programme
- शिक्षकों को E-content उपलब्ध करवाकर उपयोग किये जाने हेतु प्रशिक्षण।
- सुरक्षा हेतु विद्यालयों में लगाए गए अग्नि शमन यंत्रों का उपयोग सम्बन्धी प्रशिक्षण।
- Sensitization workshop for model school staff at regional level

5.15 खेल कूद व सह शैक्षिक गतिविधियां :–

- मॉडल स्कूलों के माध्यम से विद्यार्थियों का चहुंमुखी विकास करने के लिये विभिन्न प्रकार की खेलकुद एवं सहशैक्षिक गतिविधियों के आयोजन की कार्य योजना तैयार की जावे।
- प्रत्येक विद्यार्थी की रूचि एवं क्षमता के अनुसार उसे गतिविधि में भाग लेने के अवसर दिये जावें।
- प्रार्थना सभा अथवा शून्य कालांश में योगा प्रर्दशन, वाद–विवाद, अभिव्यक्ति प्रतियोगिता, खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की जावे।
- प्रत्येक आयोजित गतिविधि का नियमित रिकार्ड रखा जावे।
- शैक्षणिक सत्र में एक बार वार्षिक खेलकूद दिवस (Annual sport day) का आयोजन किया जावे जिसमें विद्यार्थियों को प्रंशसा स्वरूप पुरस्कार भी दिये जावें।
- शैक्षणिक सत्र में वार्षिक उत्सव (Annual day) का आयोजन किया जावे जिसमें सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों का समावेश हो।
- समय–समय पर Eminent Persons के व्याख्यान आयोजित किये जावे जैसे–शिक्षाविद, विज्ञान, खिलाडी, निजी क्षेत्र से जुडा प्रतिष्ठित सफल व्यक्ति अथवा अन्य।
- विद्यालय में आयोजित गतिविधियों में अभिभावकों को भी आमंत्रित किया जावे।
- विद्यार्थियों के लिये फील्ड ट्रिप आयोजन किया जावे।

5.16 स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में संधारित किये जाने योग्य रिकार्ड :–

- संचालित किए जाने वाले मॉडल स्कूलों में निम्नानुसार रिकार्ड का संधारण आवश्यक रूप से किया जावे –

क्र.स.	लेखों की सूची	क्र.स.	लेखों की सूची
1.	कैश बुक	13	पियोन डायरी

2.	स्टॉक प्रविष्ठी रजिस्टर (अस्थाई एवं स्थाई सामग्री)	**14**	संस्थापन रजिस्टर
3.	रसीद प्रपत्र	**15**	पत्र प्राप्ति रजिस्टर
4.	प्रवेश रजिस्टर	**16**	पत्र प्रेषण रजिस्टर
5.	उपस्थिति रजिस्टर, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों हेतु	**17**	स्टाम्प रजिस्टर
6.	विजिटर्स रजिस्टर	**18**	शिकायत पुस्तिका
7.	चालान रजिस्टर	**19**	साप्ताहिक योजना पंजिका
8.	डी.डी. रजिस्टर/चैक रजिस्टर	**20**	कैश रसीद वाउचर
9.	अग्रिम रजिस्टर	**21**	टी.सी. रिकार्ड
10.	पै पोस्टिंग रजिस्टर	**22**	मदवार आय व्यय
11.	बिल रजिस्टर	**23**	सुझाव पुस्तिका रजिस्टर
12.	इशू रजिस्टर		

- आवर्ती मद एवं अनावर्ती मद का पृथक–पृथक रिकार्ड संधारित किया जावे।
- सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों में वर्णित नियमों के अनुसार आवश्यक अन्य वित्तीय लेखों का भी संधारण किया जावे।

1. कैश बुक :–

- डबल कॉलम केश बुक का संधारण विद्यालय स्तर पर किया जावे।
- सभी प्रकार की प्राप्तियां एवं भुगतान का अंकन कैश बुक में किया जावे।
- प्रत्येक वित्तिय वर्ष हेतु अलग–अलग कैश बुक संधारित की जावे।
- वाउचर संख्या व लेजर पृष्ठ का अंकन कैश बुक में किया जावे।
- कैश बुक की प्रविष्ठियों का आहरण वितरण अधिकारी/विद्यालय प्राचार्य द्वारा दैनिक रूप से अंतिम बैलेन्स अंकित किया जाकर प्रमाणित किया जावे।
- कैश बुक में कांट–छांट नहीं की जावे। यदि कांट–छांट की जाती है तो आहरण वितरण अधिकारी/विद्यालय प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किया जावे।

2. अग्रिम पंजिका (Advance Register) :–
सभी प्रकार के अग्रिम का अग्रिम पंजिका में इन्द्राज किया जावे। अग्रिम राशि के समायोजन का इन्द्राज भी उक्त पंजिका में किया जावे। कोई वैयक्तिक अग्रिम का कार्य पूर्णता के पश्चात 15 दिवस में किया जावे। उक्त अवधि में समायोजन नहीं करवाए जाने पर अग्रिम राशि पर 18 प्रतिशत की दर से ब्याज की वसूली की जावे। टी.ए./डी.ए. अग्रिम व अन्य अग्रिम हेतु अलग–अलग पंजिका संधारित की जावे।

3. चैक रजिस्टर

- जारी किये गये सभी चैक का इन्द्राज चैक रजिस्टर में किया जावे।

4. बैंक पास बुक/बैंक स्टेटमेन्ट
   - विद्यालय को प्राप्त राशि को संयुक्त बैंक खाते में रखा जावे।
   - बैंक पास बुक व बैंक स्टेटमेन्ट नियमित रूप से बैंक से प्राप्त कर जारी किये गये चैकों का मिलान कैश बुक से किया जावे। बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह में तैयार किया जावे।
5. बिल रजिस्टर :–
सभी प्रकार के बिलों का इन्द्राज बिल रजिस्टर में किया जावे।

6. स्टॉक रजिस्टर :–
विद्यालय में प्राप्त सभी प्रकार के सामान का इन्द्राज स्टॉक रजिस्टर में किया जावे।
   - स्थाई परिसम्पति रजिस्टर
   - Non-consumable Items (vLFkkbZ lkexzh iaftdk)

- Consumable Items (vLFkkbZ lkexzh iaftdk)

7. लेजर – सभी प्रकार के लेने देन (प्राप्ति एवं भुगतान) का इन्द्राज लेजर बुक में किया जावे।
8. Receipt & dispatch register
9. फाईल रजिस्टर

Admission -प्रवेश प्रक्रिया

6.1 दिशा–निर्देश

- स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों की प्रवेश प्रक्रिया का सम्पूर्ण विवरण परिषद की वेबसाईट http://rajrmsa.nic.in/ पर उपलब्ध है।
- संपूर्ण राष्ट्र में निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 1 अप्रेल 2010 से लागू हो चुका है जिसके अनुसार किसी वर्ग/समाज से जुडे बालक–बालिका शिक्षा से वंचित नहीं रहने चाहिए। इसी भावना से इन स्कूलों की प्रवेश प्रक्रिया तय की गई है।
- स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में प्रवेश हेतु राज्य स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाना अपेक्षित है जिससे अधिकाधिक विद्यार्थी इन स्कूलों में प्रवेश लेकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकें।
- प्रचार प्रसार के लिये प्रिन्ट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया एवं मॉडल स्कूलों में कार्यरत स्टॉफ का उपयोग लिया जावे।
- इन मॉडल स्कूलों में कक्षा 6 से 8 का संचालन किया जा रहा है। प्रत्येक कक्षा में 40 बच्चों के 2 सेक्शन रखे जावे।
- प्रत्येक वर्ष फरवरी के अंतिम सप्ताह से प्रवेश के लिए नामांकन की प्रक्रिया प्रारम्भ होगी।
- चूंकि बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत कक्षा 6 से 8 तक प्रवेश परीक्षा रखा जाना संभव नहीं है। अतः सम्बन्धित ब्लॉक के बालक बालिकाओं को प्राथमिकता निर्धारण के द्वारा ही प्रवेश का प्रावधान रखा गया है।
- ब्लॉक स्तर पर स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल में प्रवेश हेतु रिक्त स्थानों की उपलब्धता के आधार पर प्रवेश एवं आरक्षित सूची तैयार करने हेतु निम्नानुसार प्रवेश समिति का गठन किया गया है।

a)	मॉडल स्कूल के निकटस्थ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का प्रधानाचार्य	– अध्यक्ष
b)	ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी	– सदस्य
c)	स्थानीय ब्लॉक से एक जन प्रतिनिधि (अध्यक्ष द्वारा नामित)	– सदस्य
d)	मॉडल स्कूल का प्रधानाचार्य	– सदस्य सचिव

- छठी कक्षा में प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु सीमा 10 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा 12 वर्ष रखी गई है। उक्त आयु हेतु प्रवेश के वर्ष की 31 मार्च का आधार माना जावेगा। आयु में शिथिलन का अधिकार प्रवेश समिति का होगा।
- समिति द्वारा स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से मॉडल स्कूल संस्था प्रधान अथवा निकटस्थ नोडल संस्था प्रधान द्वारा विज्ञापन प्रकाशित कर ब्लॉक के मॉडल स्कूल की रिक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए आवेदन आमंत्रित किये जाते है।
- स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल के लिए हेतु प्रवेश फार्म आवेदनकर्ता को निशुल्क देय होगा।
- **प्रवेश हेतु उसी ब्लॉक में निवास करने वाले छात्र/छात्रा को ही प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा। सीट रिक्त होने की स्थिति में ही अन्य ब्लॉक के छात्र/छात्रा को प्रवेश दिया जा सकेगा।**

(A) कक्षा 6 से 8 तक प्रवेश नीति

1. कक्षा 6 से 8 तक राज्य सरकार द्वारा पूर्व निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार ही प्रवेश प्रक्रिया रखी जानी है जो निम्नानुसार है:–

I. प्रथम वरीयता–संबंधित ब्लॉक्स से विधवा, परित्यक्ता एवं एच.आई.वी. एड्स पीड़ित अभिभावकों के बालक–बालिकाएं।
II. द्वितीय वरीयता–विकलांग बालक–बालिकाएं चाहे वो किसी भी श्रेणी के हों।
III. तृतीय वरीयता–बी.पी.एल. परिवार (केन्द्र व राज्य सूची) के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक वर्ग के बालक–बालिकाएं।
IV. चतुर्थ वरीयता–बी.पी.एल. परिवार के सामान्य वर्ग के बालक–बालिकाएं।
V. पंचम वरीयता–नॉन बी.पी.एल. परिवार के बालक–बालिकाएं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक वर्ग के हों।
VI. छठी वरीयता–नॉन बी.पी.एल. सामान्य वर्ग के बालक–बालिकाएं।

2. कुल प्रवेश योग्य सीटों पर बालिकाओं के लिए सत्र 2014–15 में निर्धारित न्यूनतम 50 प्रतिशत के स्थान पर न्यूनतम 55 प्रतिशत का प्रावधान छात्राओं हेतु रखा जावे।
3. मॉडल स्कूलों में प्रवेश हेतु उसी ब्लॉक में निवास करने वाले छात्र/छात्रा को ही प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावें। सीट रिक्त होने की स्थिति में अन्य ब्लॉक के छात्र/छात्रा को प्रवेश दिया जा सकेगा।
4. कक्षा 6 में शत् प्रतिशत प्रवेश नवीन होंगे। कक्षा 7 एवं 8 में पूर्व से अध्ययरत् विद्यार्थियों के अतिरिक्त शेष रिक्त सीटों पर भी निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार ही प्रवेश दिया जावे।
5. प्रवेश समिति द्वारा सुनिश्चित किया जावे कि कक्षा 6 से 8 तक प्रवेश कक्षा में शत् प्रतिशत नामांकन हो।
6. प्रवेश समिति का संगठनात्मक स्वरूप राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2014–15 हेतु जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप ही रहेगा जो निम्नानुसार है :–
   - ❖ मॉडल स्कूल के निकटस्थ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का प्रधानाचार्य–अध्यक्ष
   - ❖ ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी–सदस्य
   - ❖ स्थानीय ब्लॉक से एक जन प्रतिनिधि (अध्यक्ष द्वारा नामित)–सदस्य
   - ❖ मॉडल स्कूल का प्रधानाचार्य–सदस्य सचिव
7. वरियता क्रम में ही रिक्तियों की पूर्ति की जावेगी, फिर भी जिस वरीयता क्रम में प्रवेश पाने वाले बालक–बालिकाओं की संख्या आवेदन करने वालों में से पात्र बालक–बालिकाओं की संख्या से अधिक हो तो लॉटरी के माध्यम से चयन किया जावेगा।
8. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/ओबीसी (नॉन क्रिमीलियर)/बीपीएल/विकलांग इत्यादि के संबंध में जारी प्रमाण–पत्र संबंधित राज्य सरकार/संघ सरकार के संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। यदि बच्चे का यह प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में प्रवेश के प्रयोजन हेतु माता अथवा पिता के प्रमाण–पत्र को आरम्भ में स्वीकार कर लिया जाए किन्तु संबंधित प्रमाण–पत्र प्रवेश के 3 माह के भीतर जमा करना होगा।
9. कक्षा 6 से 8 में प्रवेश हेतु शेष समस्त शर्ते राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प . (15)/शिक्षा–1/मॉडल स्कूल/2008 पार्ट जयपुर दिनांक 24.06.20163 एवं 21. 08.2013 के अनुसार ही प्रभावी होगी।

(B) <u>कक्षा 9 में प्रवेश हेतु नीति</u>

स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में सत्र 2015–16 में कक्षा 9 में 66 मॉडल स्कूलों के लिए निम्नानुसार प्रवेश नीति निर्धारित की जाती है :–

1. प्रति मॉडल स्कूल 9वीं कक्षा में 2 सेक्शन के अनुसार अधिकतम प्रवेश योग्य विद्यार्थियों की संख्या 80 होगी।

2. स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में अध्ययनरत आठवीं कक्षा के विद्यार्थी 8वीं बोर्ड परीक्षा में ग्रेड बी अथवा 45 प्रतिशत एवं उससे अधिक स्तर प्राप्त करने पर कक्षा 9 में प्रवेश हेतु पात्र होगें।
3. ग्रेड बी अथवा 45 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले मॉडल स्कूल के विद्यार्थियों को आरटीई के तहत उच्च प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने का प्रमाण पत्र दिया जाकर उनका अन्य राजकीय विद्यालयों में प्रवेश करवाया जायेगा।
4. उक्तानुसार सीटे भरने के उपरान्त कक्षा 9 में शेष रही सीटों पर प्रवेश हेतु ब्लॉक स्तर पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्र के आधार पर प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जावेगा।
5. प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम उतीर्णांक 33 प्रतिशत होगा।
6. प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले शिक्षार्थी 9वीं कक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे।
7. प्रवेश परीक्षा के अंक जारी होने के उपरान्त किसी प्रकार की पुनः जांच का प्रावधान नहीं होगा।
8. प्रवेश परीक्षा में चयन के उपरांत भी विद्यार्थी तब तक प्रवेश का पात्र नहीं होगा जब वह आवश्यक दस्तावेज समिति को उपलब्ध करवाएगा एवं समिति उक्त दस्तावेजों से पूर्णतः संतुष्ट होगी।
9. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में जिला स्तरीय समिति का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा।

10. प्रवेश में आरक्षण के प्रावधान निम्न अनुसार होंगे।

1. राज्य के टी.एस.पी. क्षेत्रों एवं बांरा जिले के अतिरिक्त अन्य ब्लॉक्स में प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिये जाने वाली प्रवेश योग्य सीटों में से अनुसूचित जाति हेतु –16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति हेतु –12 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग हेतु –21 प्रतिशत एवं विशेष पिछड़ा वर्ग हेतु– 1 प्रतिशत, आरक्षित होगी एवं शेष 50 प्रतिशत सीटे अनारक्षित वर्ग से भरी जावेगी।
2. टी.एस.पी. एरिया के संबंधित ब्लॉक्स में आरक्षण राज्य सरकार के मापदंडानुसार अनुसूचित जनजाति हेतु –45 प्रतिशत, अनुसूचित जाति हेतु –5 प्रतिशत होगा एवं शेष 50 प्रतिशत सीटे अनारक्षित वर्ग से भरी जावेगी।
3. बारां जिले के समस्त ब्लॉक्स् में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से भरी जाने वाली सीटों हेतु अनुसूचित जाति हेतु 8 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति हेतु 6 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग हेतु 10 प्रतिशत, विशेष पिछड़ा वर्ग हेतु 1 प्रतिशत, सहरिया वर्ग हेतु 25 प्रतिशत आरक्षित होगी, एवं शेष, 50 प्रतिशत सीटें अनारक्षित से भरी जायेगी।
4. प्रत्येक वर्ग में न्यूनतम 55 प्रतिशत सीटे छात्राओं हेतु एवं 3 प्रतिशत सीटे निःशक्तजन के लिए आरक्षित होंगी।
5. प्रवेश हेतु यदि किसी वर्ग में 55 प्रतिशत छात्राएं उपलब्ध नहीं होती है तो शेष सीटे उसी वर्ग के छात्रों से भरी जावेगी। इसी प्रकार 3 प्रतिशत निशःक्तजन उपलब्ध नहीं होने पर शेष सीट उसी वर्ग के छात्र–छात्राओं से भरी जावेगी।
6. किसी वर्ग हेतु निर्धारित सीटो के लिए उस वर्ग के विद्यार्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में शेष सीटे अनारक्षित वर्ग से भरी जावेगी।

11. प्रवेश परीक्षा की प्रकिया :–

1. प्रवेश परीक्षा में संबंधित ब्लॉक के राजकीय/निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के 8वीं कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थी भाग ले सकेंगे।
2. प्रवेश परीक्षा का आयोजन संबंधित जिले के स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल में किया जायेगा।
3. प्रवेश परीक्षा हेतु पेपर का निर्माण एवं प्रवेश परीक्षा के क्रियान्वयन की समस्त जिम्मेदारी जिला स्तर पर गठित समिति की होगी। समिति निम्नानुसार होगी :–
   - जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा एवं जिला परियोजना समन्वयक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान– अध्यक्ष।
   - प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान– सदस्य।
   - अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान–सदस्य

- संस्था प्रधान–1 स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल (जिले के संचालित मॉडल स्कूल से)– सदस्य
- कार्यक्रम अधिकारी, सदस्य सचिव होंगे।

4. प्रश्न पत्रों मे गणित, सामान्य विज्ञान, हिंदी एवं अंग्रेजी विषय पर वस्तुपरख प्रश्न पूछे जावेंगे। प्रश्न पत्र 8वीं कक्षा के स्तर का होगा।
   प्रश्न पत्र कुल 100 अंकों का होगा एवं प्रत्येक विषय को बराबर अंकभार प्रदान किया जावेगा। उक्त प्रश्नपत्र में हिन्दी विषय के अलावा अन्य विषयों के प्रश्नपत्र अंग्रेजी भाषा में मुद्रित होगें।
5. प्रवेश परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होगी।
6. जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा प्रवेश परीक्षा की प्रक्रिया 01 अप्रैल तक पूर्ण की जावेगी एवं इस परीक्षा के आधार पर वर्गवार बनाई गई मैरिट लिस्ट में से उपलब्ध रिक्तियों पर 30 जून तक प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी।
7. जिला स्तरीय समिति द्वारा ही ब्लॉकवार रिक्तियों की सूचना प्रकाशित की जावेगी एवं समाचार पत्रों, अन्य माध्यमों से व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावेगा।
8. जिला स्तरीय समिति द्वारा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से प्रश्न पत्रों को 5 विभिन्न Sequential Order में निर्मित किया जायेगा।
9. प्रश्न पत्रों का मुद्रण, प्रकाशन एवं वितरण जिला परियोजना समन्वयक के द्वारा करवाया जावेगा।

12. कक्षा 6 से 8 में विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु निर्धारित कलैण्डर

1. फरवरी का अंतिम सप्ताह–समाचार पत्रों/इलेक्ट्रोनिक माध्यम से विज्ञप्ति जारी किया जाना एवं प्रवेश हेतु व्यापक प्रचार प्रसार।
2. प्रवेश हेतु आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया पूर्ण करना–5 मार्च से 10 मार्च, 2015
3. चयनित आवेदकों की सूची का निर्धारण–15 मार्च, 2015
4. प्रवेश हेतु चयनित आवेदकों की सूची जारी किया जाना– 20 मार्च, 2015
5. चयनित आवेदकों से प्रवेश पत्र भराया जाना।–25 मार्च, 2015
6. कक्षा 6 से 8 का संचालन प्रारंभ किया जाना–1 अप्रेल, 2015

13. कक्षा 9 में विद्यार्थियों की प्रवेश प्रक्रिया का निर्धारित कलैण्डर

1. प्रवेश परीक्षा तिथि के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु विज्ञप्ति जारी किया जाना–5 मार्च 2015
2. प्रवेश परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र तैयार करना–5 मार्च, 2015 से 15 मार्च, 2015 तक।
3. प्रश्न पत्रों का मुद्रण प्रकाशन एवं वितरण–20 मार्च, 2015।
4. प्रवेश परीक्षा का आयोजन–25 मार्च, 2015 तक पूर्ण किया जाना।
5. परीक्षा परिणाम घोषित किया जाना–30 मार्च, 2015 तक।
6. चयनित आवेदकों की सूची जारी किया जाना–5 अप्रैल 2015 तक।
7. 9वीं कक्षा का संचालन प्रारंभ–15 अप्रैल 2015 तक।

- सभी प्रकार की सूचनाओं युक्त पंजीकरण फार्म एवं अपेक्षित दस्तावेज 5 मार्च तक विद्यालय कार्यालय में जमा कराए जाते है।
- प्रवेश समिति मार्च के प्रथम/द्वितीय सप्ताह में तिथि निर्धारण कर बैठक आयोजित करेगी एवं प्राप्त आवेदनों को सूचीबद्ध करेगी।
- प्रवेश समिति राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वरीयता के आधार पर आवदेकों को प्रवेश देगी।

6.2 निर्धारित प्राथमिकताऐं

- स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल में वरीयता अनुसार प्रवेश पाने हेतु प्राथमिकता निम्नानुसार है :–
  - **प्रथम वरीयता –** सम्बन्धित ब्लॉक्स से विधवा, परित्यक्ता एवं एच.आई.वी. एड्स से पीड़ित अभिभावकों के बालक–बालिकाएं
  - **द्वितीय वरीयता –** विकलांग बालक–बालिकाएं चाहे वो किसी भी श्रेणी के हों।

- **तृतीय वरीयता –** बी.पी.एल. परिवार (केन्द्र व राज्य सूची) के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक वर्ग के बालक–बालिकाएं।
- **पंचम वरीयता –** नॉन बी.पी.एल. परिवार के बालक–बालिकाएं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक वर्ग के हों।
- **चतुर्थ वरीयता –** बी.पी.एल. परिवार के सामान्य वर्ग के बालक बालिकाएं।
- **छठी वरीयता –** नॉन बी.पी.एल. सामान्य वर्ग के बालक–बालिकाएं।
- राज्य सरकार द्वारा प्रदत निर्देशों के अनुसार प्रत्येक मॉडल स्कूल में सभी श्रेणीयों को मिलाकर कम से कम 50 प्रतिशत बालिकाओं को आवश्यक रूप से प्रवेश दिया जाता है।
- वरीयता एवं वरीयता क्रम में उल्लेखित क्रम से ही रिक्तियों की पूर्ति की जानी है।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/ओबीसी (नॉन किमीलियर)/बीपीएल/विकलांग इत्यादि के सम्बन्ध में जारी प्रमाण–पत्र सम्बन्धित राज्य सरकार/संध सरकार के सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। यदि बच्चे का यह प्रमाण–पत्र उपलब्ध नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में प्रवेश के प्रयोजन हेतु माता अथवा पिता के प्रमाण–पत्र को आरम्भ में स्वीकार कर लिया जाए किन्तु सम्बन्धित प्रमाण–पत्र प्रवेश के 3 माह के भीतर जमा करना होता है।

- प्रवेश की अंतिम सूची तैयार करने के साथ–साथ समिति द्वारा 10 प्रतिशत अतिरिक्त आवेदकों की आरक्षित सूची भी तैयार की जावेगी।
- प्रवेश प्रक्रिया एवं परिणामों में किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित मॉडल स्कूल मॉनिटरिंग समिति का ही निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा।

6.3 एड्स Affected **हेतु विशेष निर्देश :–**

- स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में प्रवेश की प्रथम वरियता के तहत प्रवेशित एड्स पीड़ित Affected बालक–बालिकाओं के सम्बन्ध में विषय की संवेदनशीलता को देखते हुए विस्तृत दिशा निर्देशों की आवश्यक रूप से पालना की जावे।

  - इस श्रेणी में प्रवेशित बालक–बालिकाओं के रिकार्ड में उनके प्रवेश के आधार की सूचना सिर्फ संकेतात्मक रूप से कोडिंग के रूप में Immunocompromised effected / affected child के रूप में परिभाषित की जावे। जब इन बालक–बालिकाओं को टी.सी. दी जावे तब भी उसमें इसका उल्लेख इसी संकेतात्मक भाषा में किया जावे।
  - उक्त श्रेणी में प्रवेश देने से पूर्व सम्बन्धित अभिभावकों से निम्नाकिंत दस्तावेजों को प्राप्त कर उनकी जांच किया जाना अपेक्षित है। Anti retroviral therapy की ग्रीन डायरी की छायाप्रति अथवा Initegrated council and testing center (Govt.) रिपोर्ट (चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित), दोनों में से कोई भी एक दस्तावेज अनिवार्य रूप से देखा जावे।
  - इस श्रेणी से जुडे अभिभावकों एवं बालक–बालिकाओं को प्रवेश प्रक्रिया के दौरान यह विश्वास दिलाना होगा कि जो भी दस्तावेज अथवा सूचना उनसे प्राप्त की जा रही है वह Shared confidentiality के तहत गोपनीय रहेगी।
  - विद्यालय के वातावरण में, कार्मिकों के व्यवहार में अथवा किसी भी गतिविधि में इस श्रेणी से जुड़े अभिभावकों एवं बालक बालिकाओं के साथ दूरियां अथवा भेदभाव प्रतीत नहीं होना चाहिए।

- इस श्रेणी से प्रवेशित बालक–बालिकाओं के लिए विशेष केयर प्लान भी विद्यालय स्तर पर विकसित किया जावे क्योंकि उन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी।
- ऐसे बच्चों को चूंकि अवकाश की आवश्यकता भी अन्य बच्चों की तुलना में अधिक होगी अतः संवेदनपूर्ण तरीके से विद्यालय विकास प्रबन्धन समिति के स्तर पर विचार किया जावे।

- स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालयों के शिक्षकों को भी इस श्रेणी से प्रवेशित बच्चों व उनके अभिभावकों से किए जाने वाले व्यवहार, गोपनीयता आदि के बारे में Senstize किए जाने की आवश्यकता होगी। अतः शिक्षकों को प्रारम्भ से ही इस हेतु आधारभूत जानकारी दी जावे।
- समिति द्वारा चयनित अंतिम प्रवेश सूची के आधार पर चयनित बालक–बालिकाओं को विद्यालय में बुला कर उनके प्रवेश पत्र भरवाए जाते हैं।
- आवेदन प्राप्त कर प्रवेश की प्रक्रिया दिनांक 20 मार्च 2015 तक पूर्ण कर ली जावे तथा निम्नांकित प्रपत्र में भर कर जिला कार्यालय को भेजी जावे।

क्र. स.	जिला	ब्लॉक	नवप्रवेशित बालक/बालिका का नाम	आयु	कक्षा जिसमें प्रवेश दिया गया	वर्ग	प्रवेश का आधार	विशेष
1	2	3	4	5	6	7	8	9

6.4 सत्र का प्रारम्भ :–

- स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में नवीन सत्र 1 अप्रेल से प्रारम्भ किया जा सकेगा।
- स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल में प्रवेशित विद्यार्थियों को इसकी सूचना एक सप्ताह पूर्व दी जावेगी ताकि 1 अप्रेल से विधिवत रूप से विद्यालय का संचालन प्रारम्भ हो सके।
- वर्ष 2015–16 का विस्तृत शैक्षणिक पंचाग एवं दिशा–निर्देशों को शीघ्र प्रसारित किया जावेगा।

6.5 विद्यार्थियों की उपस्थिति

- प्रत्येक शैक्षणिक दिवस को दो बार विद्यार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जावे।
- बायोमीट्रिक उपस्थिति प्रारंभ की जावे।
- SDMC प्रति माह विद्यार्थियों की उपस्थिति की समीक्षा करेगी।
- किसी शैक्षणिक दिवस में विद्यालय में विद्यार्थियों की उपस्थिति 85 प्रतिशत से न्यून हो तो विद्यालय विकास प्रबन्धन समिति को इस पर विचार कर कारणों का पता लगाना होगा।
- पूरे शैक्षणिक सत्र की अवधि के दौरान किसी विद्यार्थी की शतप्रतिशत उपस्थिति हो तो उसे विद्यालय वार्षिक उत्सव में पुरस्कार दिया जावे।
- पूरे शैक्षणिक सत्र में 25 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले विद्यार्थियों को वार्षिक परीक्षा में Appear नहीं किया जावे।
- शैक्षणिक सत्र में कुल उपस्थिति से 10 प्रतिशत कम उपस्थिति रखने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों से वार्ता की जावे।
- तीन माह तक लगातार 50 प्रतिशत वाले विद्यार्थियों को Provisional dropout की श्रेणी में रखा जावे।

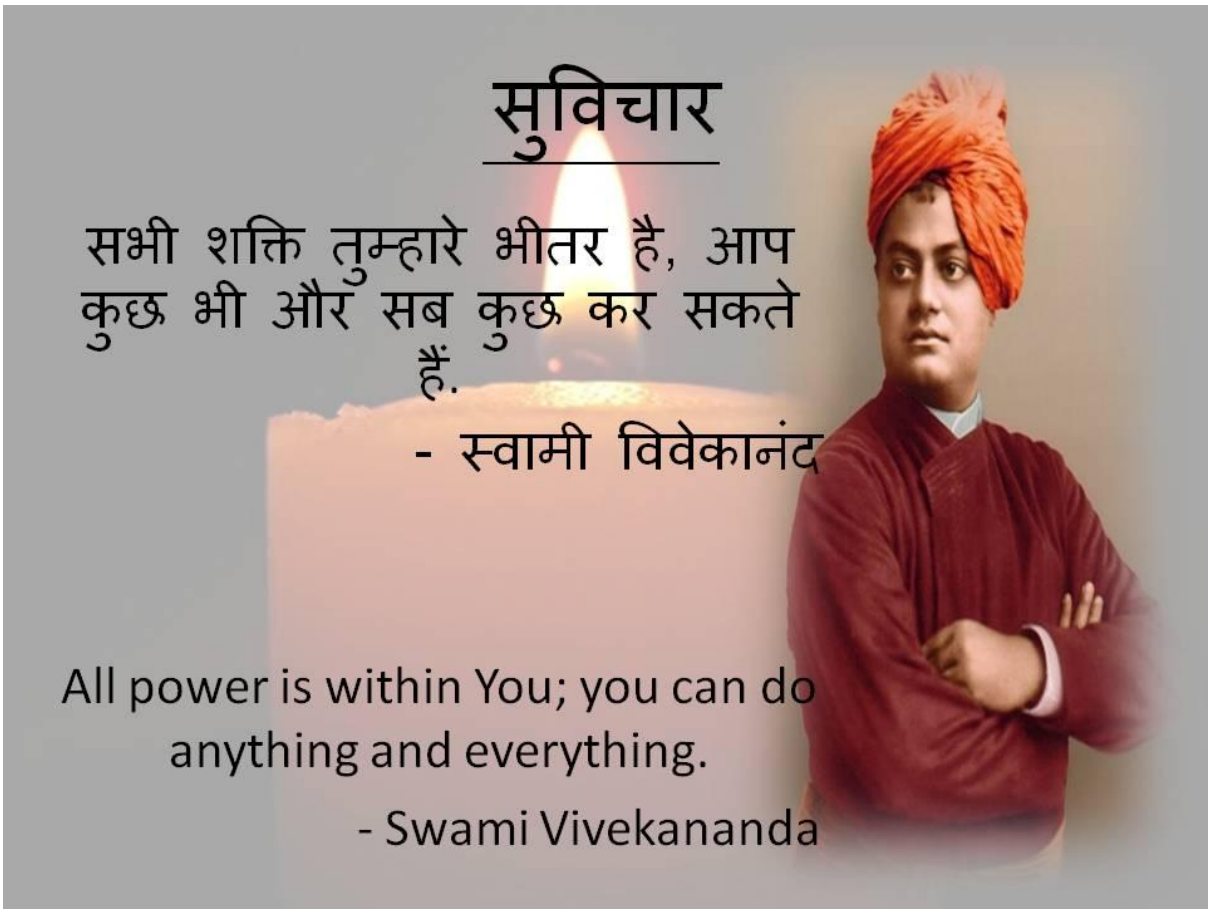
सुविचार
सभी शक्ति तुम्हारे भीतर है, आप कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं.
- स्वामी विवेकानंद
All power is within You; you can do anything and everything.
- Swami Vivekananda

वर्ष 2015–16 (1 जुलाई–15 से 30 जून–16)में स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालयों में मनाये जाने वाले अवकाशों की सूची

क्र.सं.	माह	दिनांक एवं वार	उत्सव का विवरण	उत्सव–अवकाश
1	जुलाई–15	11/शनिवार	विश्व जनसंख्या दिवस	उत्सव
2		23/गुरूवार	लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जयन्ती	उत्सव
3		31/शुक्रवार	गुरू पूर्णिमा	उत्सव
4	अगस्त–15	15/शनिवार	स्वतंत्रता दिवस	अवकाश–उत्सव अनिवार्य
5		29/शनिवार	संस्कृत दिवस	अवकाश–उत्सव (रक्षाबंधन–अवकाश)
6	सितम्बर–15	5/शुक्रवार	जन्माष्टमी (अवकाश)/शिक्षक दिवस	अवकाश–उत्सव राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार समारोह
7		8/सोमवार	विश्व साक्षरता दिवस	उत्सव
8		14/रविवार	हिन्दी दिवस	उत्सव
9		23/मंगलवार	रामदेव जयन्ती/तेजा दशमी, किशोर जागृति दिवस	अवकाश–उत्सव
10	अक्टूबर–15	2/शुक्रवार	गांधी जयन्ती एवं शास्त्री जयन्ती	उत्सव
11		24/शनिवार	संयुक्त राष्ट्रीय दिवस	उत्सव
12	नवम्बर–15	11/बुधवार	राष्ट्रीय शिक्षा दिवस	उत्सव
13		14/शनिवार	बाल दिवस	उत्सव
14		23/सोमवार	कालिदास जयन्ती	उत्सव
15		25/बुधवार	गुरूनानक जयन्ती	अवकाश–उत्सव
16	दिसम्बर –15	1/मंगलवार	विश्व एड्स दिवस एवं विश्व एकता दिवस	उत्सव
17		10/गुरूवार	मानव अधिकार दिवस	उत्सव
18	जनवरी–16	12/मंगलवार	स्वामी विवेकानन्द जयन्ती (राष्ट्रीय युवा दिवस)	उत्सव
19		15/शुक्रवार	मकर सक्रांति	उत्सव
20		16/शनिवार	गुरू गोविन्द सिंह जयन्ती	अवकाश–उत्सव
21		23/शनिवार	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस जयन्ती (देश प्रेम दिवस)	उत्सव
22		26/मंगलवार	गणतंत्र दिवस	अवकाश–उत्सव अनिवार्य
23	फरवरी–16	12/शुक्रवार	बसंत पंचमी (सरस्वती जयन्ती)	उत्सव
24		28/रविवार	राष्ट्रीय विज्ञान दिवस	उत्सव

वर्ष 2015–16 (1 जुलाई–15 से 30 जून–16)में स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालयों में मनाये जाने वाले उत्सवों की सूची

क्र.सं.	माह	दिनांक एवं वार	उत्सव का विवरण	उत्सव–अवकाश
1	मार्च–16	4/शुक्रवार	स्वामी दयानन्द जयन्ती	उत्सव
2		7/सोमवार	महाशिवरात्रि	अवकाश–उत्सव
3		15/मंगलवार	विश्व उपभोक्ता दिवस	उत्सव
4		30/बुधवार	राजस्थान दिवस	उत्सव
5	अप्रैल–16	8/शुक्रवार	चेटीचण्ड	अवकाश–उत्सव
6		14/गुरूवार	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर जयन्ती	अवकाश–उत्सव
7		15/शुक्रवार	रामनवमी	अवकाश–उत्सव
8		19/मंगलवार	महावीर जयन्ती/अहिंसा	अवकाश–उत्सव
9	मई–16	7/शनिवार	रवीन्द्र नाथ टैगोर जयन्ती	उत्सव
10	जून–16	7/मंगलवार	महाराणा प्रताप जयन्ती	अवकाश–उत्सव
11		28/शनिवार	भामाशाह जयनती	राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह

uksV %& mRlo ds fnu jfookj@Lohd`r vodk'k gks] rks mls ,d fnu igys@ckn esa euk;k tk;sA mRlo ds fnu fu/kkZfjr vkB dkyka'k esa f'k{k.k dk;Z gks ,oa izR;sd dkyka'k esa ikap&ikap feuV dkVdj 'ks"k le; esa mRlo euk;k tk;sA 15 vxLr rFkk 26 tuojh dks iw.kZ vodk'k gksrs gq, Hkh mRlo euk;k tkuk vfuok;Z gSA mDr fnol esa laLFkk iz/kku f'k{kdksa] deZpkfj;ksa rFkk fo|kfFkZ;ksa dh Lo;a ds fo|ky; esa mifLFkfr vfuok;Z gSA

स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल–सत्र–2015–16
सी.बी.एस.ई. आधारित शैक्षणिक कलैण्डर एवं समय सारणी

स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में सत्र 2015–16 का शैक्षणिक कलैण्डर

1	सत्र आरंभ	1 अप्रैल, 2015
2	प्रवेश उत्सव व नामांकन	फरवरी, 2015 के अंतिम सप्ताह से प्रारंभ
3	FA I	मई का द्वितीय सप्ताह (10 से 15% सिलेबस पूर्ण)
4	FA II	सितम्बर का प्रथम/द्वितीय सप्ताह (10 से 15% सिलेबस पूर्ण)
5	SA I	16–30 सितम्बर के मध्य (50% सिलेबस पूर्ण)
6	FA III	दिसम्बर के प्रथम सप्ताह में (10 से 15% सिलेबस पूर्ण)
7	FA IV	जनवरी के अंतिम सप्ताह में (10 से 15% सिलेबस पूर्ण)
8	SA II	मार्च के तृतीय/चतुर्थ सप्ताह, सी.बी.एस.ई.कार्यक्रम अनुसार (50% सिलेबस पूर्ण)
9	ifj.kke	मार्च का अंतिम सप्ताह
10	uohu l=	1 अप्रैल, 2016

- mDr dyS.Mj dks ykxw djus ds fy, d{kk 6 ,oa 7 dh ijh{kk 25 ekpZ] 2015 ls iwoZ lEiUu djokus gsrq lacaf/kr ftyksa dks funsZ'k tkjh fd;s tkus izLrkfor gSA
- e/;kof/k vodk'k ds LFkku ij jktLFkku dh LFkkuh; ifjfLFkfr;ksa ds vuq:Ik ,oa nhikoyh ioZ dks /;ku esa j[krs gq, ek/;fed f'k{kk foHkkx ds dyS.Mj vuqlkj gh nhikoyh vodk'k izLrkfor gSA ¼6-11-2015 ls 17-11-2015 rd jfookj dks NksM+dj 10 fnol½
- 'khrdkyhu vodk'k lh-ch-,l-bZ- isVuZ ij 24-12-2015 ls 05-01-2016 ¼13 fnol½ izLrkfor gSA okLrfod frfFk lh-ch-,l-bZ- dyS.Mj vkus ij tkjh dh tkosxhA
- xzh"edkyhu vodk'k 13-05-2016 ls 26-06-2016 ¼45 fnol½ izLrkfor gSA
- dqy vodk'k fooj.k &lhch-,l-bZ- isVuZ ds vuq:Ik gh izLrkfor dyS.Mj esa vodk'k o 2 laLFkk iz/kku ds vodk'k dks feykdj dqy 70 vodk'k fy;s x;s gSaA
- उत्सव व त्यौहार :– ifjf'k"V&1 ij vafdr mRlo o R;kSgkjksa dk lekos'k dyS.Mj esa fd;k tkuk izLrkfor gSA

विज्ञान प्रदर्शनी

- विद्यालय स्तर पर :–अगस्त, 2015 के अंतिम सप्ताह में
- संभाग स्तर पर :– सितम्बर, 2015 के प्रथम सप्ताह में
- राज्य स्तर पर :– अक्टूबर, 2015 के तृतीय सप्ताह में

- **एडवेंचर गतिविधि :–** ग्रीष्मकाल के दौराऩ
- **स्काउट एवं गाईड** :– वर्ष पर्यन्त
- **शैक्षणिक भ्रमण** :– विद्यालय योजना के अनुसार वर्ष पर्यन्त
- **खेलकूद गतिविधियां** :– विद्यालय स्तर पर इन्टर हाऊस प्रतियोगिता (16 से 20 अगस्त, 2015)
- **संभाग स्तर पर** –10 सितम्बर तक आयोजन प्रस्तावित
- **राज्य स्तर पर** :– अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आयोजन प्रस्तावित

विद्यालय समय प्रबंधन :– Lokeh foosdkuUn jktdh; ekWMy Ldwyksa esa f'k{k.k dh dqy vof/k 6%30 ?kaVs gksxh ftldk le;okj foHkktu fuEukuqlkj gS %&

Season	Months	Time	Duration
Summer Season	1 vizSy]2015 ls 30 flrEcj] 2015	8:00 से 2:30	6:30 घंटे विद्यार्थियों हेतु
Winter Season	1 vDVwcj] 2015 ls 31 ekpZ] 2016	9:00 से 3:30	6:30 घंटे विद्यार्थियों हेतु

le; lkj.kh

Activity	Duration	Summer Timings	Winter Timings
Prayer	30 Minutes	8:00 to 8:30 A.M.	9:00 to 9:30 A.M.
Ist Period	40 Minutes	8:30 to 9:10 A.M.	9:30 to 10:10 A.M.
2nd Period	40 Minutes	9:10 to 9:50 A.M.	10:10 to 10:50 A.M.
Break	10 Minutes	9:50 to 10:00 A.M.	10:50 to 11:00 A.M.
3rd Period	40 Minutes	10:00 to 10:40 A.M.	11:00 to 11:40 A.M.
4th Period	40 Minutes	10:40 to 11:20 A.M.	11:40 to 12:20 P.M.
Interval	30 Minutes	11:20 to 11:50 A.M.	12:20 to 12:50 P.M.
5th Period	40 Minutes	11:50 to 12:30 P.M.	12:50 to 1:30 P.M.
6th Period	40 Minutes	12.30 to 01.10 P.M.	1:30 to 2:10 P.M.
Break	10 Minutes	1:10 to 01:20 P.M.	2:10 to 2:20 P.M.
7th Period	35 Minutes	1:20 to 1:55 P.M.	2:20 to 2:55 P.M.
8th Period	35 Minutes	1:55 to 2:30 P.M.	2:55 to 3:30 P.M.

अध्यापक ठहराव :– Lokeh foosdkuUn jktdh; ekWMy Ldwy esa laLFkk iz/kku lesr leLr 'kSf{kd ,oa xSj 'kSf{kd LVkWQ 'kkyk le; ls 30 feuV iwoZ fo|ky; esa vk;asxs ,oa f'k{k.k dk;Z lekIr gksus ls 1 ?kaVk Ik'pkr~ fo|ky; ls izLFkku djsaxsA bl vfrfjDr le; dk mi;ksx dkfeZd vxys fnol dh dk;Z;kstuk rS;kj djus] fo|ky; xfrfof/k;ksa dk fu;kstu djus ,oa izkstsDV odZ ds fy, djsaxsA

Selection of Staff - स्टॉफ व्यवस्था

7.1 प्रति मॉडल स्कूल कार्मिकों की स्थिति

- सत्र 2015–16 से प्रत्येक स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल में विद्यालय के सुचारू संचालन के लिए स्टॉफ की निम्नानुसार व्यवस्था की गई है :–
  1. संस्था प्रधान
  2. 8 विषय अध्यापक–अंग्रेजी, हिन्दी, गणित, सामाजिक विज्ञान–2, विज्ञान–2, एवं संस्कृत–2
  3. एक पुस्तकालय प्रभारी
  4. एक वरिष्ठ लिपिक
  5. एक कनिष्ठ लिपिक
  6. दो सहायक सेवा
  7. दो चौकीदार सेवा

- क्रम संख्या 7 व 8 को छोड़कर समस्त स्टॉफ माध्यमिक शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्त पर लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा मॉडल स्कूल में प्रतिनियुक्ति स्टॉफ के चयन के लिए निर्धारित मापदण्ड इस प्रकार है :–

1. उच्च माध्यमिक/स्नातक स्तर (जैसी भी स्थिति हो) पर अनिवार्य अंग्रेजी के अध्ययन के साथ–साथ अंग्रेजी में लिखने और बोलने की क्षमता।
2. राजस्थान, भारत एवं विश्व सम्बन्धी सामान्य ज्ञान।
3. कम्प्यूटर पर हिन्दी एवं अंग्रजी में टंकण, इन्टरनेट/ ई–मेल का प्रयोग, डाटा संग्रहण एवं स्थानान्तरण, वर्ड/ एक्सल/ पॉवर पाईन्ट आदि में क्षमता।
4. अपने विषय/जॉब की पूर्ण जानकारी।
5. शारीरिक एवं मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ। मापदण्ड निर्धारित करने का उद्देश्य मॉडल स्कूलों में उत्साहित स्तरीय स्टॉफ उपलब्ध कराना है।

- स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में साक्षात्कार प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की गई है :–

1. राज्य स्तर पर समाचार पत्रों के विज्ञप्ति प्रकाशन के माध्यम से वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किये जाते है।
2. आवेदकों का चयन राज्य स्तर पर गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा किया जाता है।
3. प्रत्येक पद हेतु चयनित कमियों की वरियता सूची तैयार कर राज्य सरकार को प्रेषित की जाती है।
4. वरियता सूची के आधार पर चयनित आवेदकों को राज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त किया जाता है।
5. प्रतिनियुक्ति की आवश्यक शर्त इस प्रकार है :–
   - मॉडल स्कूलों में प्रतिनियुक्ति हेतु माध्यमिक शिक्षा विभाग से ही आवेदकों का चयन किया जाता है।
   - प्रतिबन्धित जिलों में कार्यरत कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति प्रतिबन्धित जिलों में ही की जाती है।
   - स्वैच्छिक ग्रामीण अनुदानित सेवा अंतर्गत कार्यरत कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति नहीं की जा सकती।

- चयनित कार्मिकों को राजकीय नियमानुसार समस्त सुविधा/भत्ते देय होगें।

अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाएं :–

- प्रतिनियुक्त शिक्षकों के अभाव में रिक्त पदों पर कार्यव्यवस्थार्थ कार्मिक लगाये जाने हेतु जिला कलक्टर्स को अधिकृत किया गया है।
- प्रत्येक मॉडल स्कूल में एक सूचना सहायक उपलब्ध कराया जा रहा है जो कम्प्यूटर लैब इंचार्ज के रूप में कार्य कर आई.सी.टी. लैब को अधिकाधिक उपयोगी बनायेगा।
- मंत्रालयिक कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति होने तक राजकीय नियमानुसार सेवानिवृत मंत्रालयिक कर्मी लगाये जा सकेगें।
- प्रत्येक मॉडल स्कूल में एक अतिरिक्त अंग्रेजी शिक्षक प्लेसमेन्ट एजेन्सी के माध्यम से विशेषतोर पर English speaking classes हेतु स्वीकृत किया गया है।
- आगमी सत्र 2015–16 हेतु आवश्यक स्टॉफ का आकलन कर अतिरिक्त शिक्षकों/कार्मिकों की व्यवस्था की जा सकेगी।

7.2 पदवार अपेक्षित पात्रता एवं अनुभव :–

कक्षा VI से VIII की स्थिति में एक मॉडल स्कूल हेतु आवश्यक पद एवं वांछनीय अनुभव

क्र.सं.	पद	वांछनीय अनुभव	कम्प्यूटर ज्ञान हेतु अपेक्षित योग्यता
1.	प्रधानाचार्य – 1	वर्तमान में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत (अनुभव की आवश्यकता नहीं) अथवा वर्तमान में प्रधानाध्यापक (सैकेडरी विद्यालय) के पद पर तीन वर्ष का अनुभव अथवा वर्तमान में व्याख्याता के पद पर पांच वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूर्ण कर ली हो तथा जिन्हें विद्यालय प्रबन्धन सम्बलन, गुणवत्ता, नियोजन आदि क्षेत्रों का अनुभव हो। कम्प्यूटर में मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम तीन माह का प्रमाण पत्र/ डिप्लोमा को प्राथमिकता	मान्यता प्रात संस्थान से तीन माह का डिप्लोमा/कोर्स किए गए आवेदक को प्राथमिकता
2.	द्वितीय श्रेणी अध्यापक 6	राजस्थान शिक्षा सेवा अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा विभाग में कार्यरत सम्बन्धित विषय में द्वितीय श्रेणी अध्यापक **(अनुभव की आवश्यकता नहीं)** अथवा वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा विभाग में अधीन कार्यरत तृतीय श्रेणी शिक्षक (स्तर–II-Upper primary teacher) के पद पर एक वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूर्ण कर ली हो। • अंग्रेजी भाषा में संप्रेषण दक्षता अनिवार्य • कम्प्यूटर में मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम तीन माह का प्रमाण पत्र / डिप्लोमा को प्राथमिकता	मान्यता प्रात संस्थान से तीन माह का डिप्लोमा/कोर्स किए गए आवेदक को प्राथमिकता
3.	PTI Cum Yoga Instructor – 5 (संविदा पर)	5 नवीन खोले जाने वाले मॉडल स्कूल हेतु।	विभाग पूर्व में 66 विद्यालयों में भी पीटीआई के सृजित पदों के स्थान पर PTI Cum Yoga Instructor वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 27.06.2014 के अनुसार अनुबंध पर नियुक्त करेगा।

4.	पुस्तकालय प्रभारी – 1	प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के पुस्तकालय प्रभारी के साथ तृतीय श्रेणी पुस्तकालय प्रभारी भी पात्र। न्यूनतम एक वर्ष पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में कार्य का अनुभव। अंग्रेजी भाषा में संप्रेषण	मान्यता प्राप्त संस्थान से पुस्तकालय प्रबन्धन का कोर्स /डिप्लोमा किए गए आवेदक को प्राथमिकता।
5.	कम्प्यूटर लैब इंचार्ज	शिक्षक के रूप में न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव	मान्यता प्राप्त संस्थान से तीन माह का डिप्लोमा/कोर्स की अनिवार्यता
6.	वरिष्ठ लिपिक – 1	न्यूनतम एक वर्ष अनुभव आवश्यक। कम्प्यूटर का आधारभूत संचालन कर सकता हो।	मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा/डिग्री आवेदकों को प्राथमिकता
7.	कनिष्ठ लिपिक – 1	न्यूनतम एक वर्ष अनुभव आवश्यक। कम्प्यूटर का आधारभूत संचालन कर सकता हो।	मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा/डिग्री आवेदकों को प्राथमिकता
8.	WET/Drawing /Music Teacher on Job Basic (Part Time)-213	71 मॉडल स्कूलों हेतु । (71x3)	These services may be outsourced. (Job Basis-part time) As Per RTPP Act/Rules.
9.	सहायक सेवाएं–4 प्रति मॉडल स्कूल–284	71 मॉडल स्कूलों हेतु । (71x4)	REXCO/होमगार्ड के माध्यम से (निर्धारित दरों पर) अथवा वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 27.06.2014 के अनुसार अनुबंध पर

Supervision and Inspection - निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण

8.1 निरीक्षण हेतु निर्धारित मापदण्ड :–

- राज्य स्तर से परिषद के अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से आंवटित जिलों के मॉडल स्कूलों का निरीक्षण एवं सम्बलन की व्यवस्था।
- जिला स्तर से जिला कलक्टर द्वारा समय–समय पर संचालित मॉडल स्कूलों का पर्यवेक्षण।
- जिला परियोजना समन्वयक एवं जिला शिक्षा अधिकारी (मा.शि.) दो माह में एक बार आवश्यक रूप से संचालित मॉडल स्कूलों का निरीक्षण करेगें एवं रिपोर्ट जिला कलक्टर व परिषद मुख्यालय को प्रस्तुत करेगें।
- अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक प्रत्येक माह संचालित मॉडल स्कूलों का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट जिला परियोजना समन्वयक को प्रस्तुत करेगें।
- कार्यक्रम अधिकारी (मॉडल स्कूल) प्रत्येक 15 दिवस में संचालित मॉडल स्कूलों का निरीक्षण करेगें एवं अपनी रिपोर्ट अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक को प्रस्तुत करेगें।
- मॉडल स्कूलों के संस्था प्रधानों द्वारा प्रतिमाह एक अर्द्धशासकीय पत्र आयुक्त, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर को प्रेषित किया जावे जिसमें संचालित मॉडल स्कूल की प्रगति को अपडेट कर अवगत कराया जावे। पत्र में संचालन में आ रही समस्याओं को भी उल्लेखित किया जावे।
- राज्य स्तर से मॉडल स्कूलों संस्था प्रधानों से नियमित रूप से संवाद कर मॉनिटरिंग की जावेगी एवं संचालन में आ रही समस्याओं का त्वरित समाधान किया जावेगा।
- जन प्रतिनिधियों एवं समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़े व्यक्तियों का दायित्व है कि वे मॉडल स्कूलों का विजिट करें, आवश्यक सहायोग प्रदान करें तथा स्टॉफ एवं विद्यार्थियों को उपलब्धियों हेतु प्रेरित करें।

Convergence in Model Schools - मॉडल स्कूलों में कन्वर्जेन्स व्यवस्था

9.1 शैक्षिक योजनाओं का नाम

- स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल के विद्यार्थियों को कन्वर्जेन्स स्कीम से लाभान्वित किए जाने हेतु राजस्थान सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किए जा सकेगें।
- यह लाभ राजस्थान के राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के समान दिया जावेगा।

(अ). केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (CSS)

Inspired award (additional)
National scheme of incentive to girls for secondary education
National Means-cum-merit (NMMS) scholarship
Pre-matric scholarship for students of scavenger families
SC/ST up gradation scheme
Develoment of Sanskrit Education

(ब). केन्द्र प्रवर्तित योजना एवं आयोजना (CSS+Plan)

Pre matric OBC scholarship
Minority Pre matric
Pre matric scholarship for ST students (Class 9 & 10)
Pre Matric scholarship for SC students (Class 9 & 10)
Inclusive education for disabled at secondary stage

(स). आयोजना की योजनाएं (State plan)

Student accidental insurance scheme
Student safety accidental insurance scheme
Bal Ganesh Chirnjivi Health scheme
National talented students
laptop
Tablet PC distribution scheme
Incentives: Cash given basis on scholar exam (New)
Scholarship for 15 topper in VIII, X & XIII Board Exam (New)
Gargi Award
Girls incentive award scheme
Cycle distribution
Transpoartation
Department scheme
Pre matric scholarship For ST students (Class 6 to 8)
Pre matric scholarship for SC students (Class 6 to 8)
SBC pre matirc
Devnranyan Gurukul yojna
TAD scheme for ST/SC
Scholarship for dependents of Pre cargil martyr/permanent disable
Scholarship for dependents of Post cargil martyr/permanent disable
Ex secviceman Girls
Scholarship to children of deceased Govt servent
Very poor scholarship scheme
Window/divorced chief minister sambal yojana
Foreign studies award
Indira priyadarshani award

9.2 मिड–डे मील :–

- कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को मिड–डे मील दिए जाने का प्रावधान स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में रखा गया है।
- समस्त जिला परियोजना समन्वयक, अति. जिला परियोजना समन्वयक एवं संस्था प्रधान मॉडल स्कूलों में मिड–डे मील सुनिश्चित करें।

9.3 स्वास्थ्य परीक्षण

स्वास्थ्य परीक्षण को मॉडल स्कूलों में लागू किये जाने के उद्देश्य निम्नानुसार है :–

1. मॉडल स्कूलों में जिस सामाजिक परिवेश एवं वंचित वर्गों के बालक–बालिकाएं प्रवेश लेते हैं उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता अतिआवश्यक है ताकि उनकी अध्ययन क्षमता एवं शैक्षणिक उपलब्धि में वृद्धि हो सके।
2. विद्यार्थियो की बीमारियों का समय पर निदान एवं चिकित्सा हो सके।
3. विद्यार्थियों में स्वास्थ्य के प्रति जानकारी एवं जागरूकता बढ सके।

स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी दिशा–निर्देश :–

- मॉडल स्कूलों में समस्त विद्यार्थियों की प्रति माह स्वास्थ्य जाँच का रिकार्ड संधारित किया जाए।
- प्रत्येक विद्यार्थी को कक्षावार स्वास्थ्य कार्ड जारी किया जाये जिसमें उससे संबंधित समस्त जानकारी दर्ज हो। स्वास्थ्य कार्ड का प्रारूप भी संलग्न है।
- स्वास्थ्य जाँच में विद्यार्थियों के ब्लड–ग्रुप व हीमोग्लोबिन की जाँच भी करवाई जाए एवं उसे स्वास्थ्य कार्ड में प्रविष्ठ किया जाए।
- मॉडल स्कूलों में फर्स्ट एड किट क्रय कर उपलब्ध करावें।
- नियमित अन्तराल में स्वास्थ्य जाँच हेतु नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र से डॉक्टर/नर्स को छात्रावास में बुलाकर स्वास्थ्य जॉच कराया जाना सुनिश्चित करें।
- स्वास्थ्य जाँच माह के प्रथम सप्ताह में किसी दिवस में कराया जाना सुनिश्चित करें।
- समय समय पर संबंधित विशेष बीमारी/स्वास्थ्य जागरूकता आदि पर डॉक्टर द्वारा चर्चा/परिचर्चा किया जाना सुनिश्चित करें।
- अध्ययनरत बालिकाओं के आयु वर्ग को ध्यान में रखते हुए किसी महिला चिकित्सक/नर्स के द्वारा माहवारी/एवं माहवारी के दौरान आने वाली कठिनाईयों के बारे में जानकारी चर्चा/परिचर्चा के माध्यम से दिया जाना सुनिश्चित करें, विशेष ध्यान रखा जावे कि यह परिचर्चा किसी महिला चिकित्सक/नर्स के द्वारा ही की जाए।
- विद्यार्थियों की हीमोग्लोबिन जॉच प्रति तिमाही यथा जुलाई, अक्टूबर एवं जनवरी माह में अत्यावश्यक रूप से किया जाना सुनिश्चित करें। इसकी रिपोर्ट स्वास्थ्य रजिस्टर में अवश्य दर्ज की जावे। यह जाँच सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र पर किया जाना सुनिश्चित हो।
- छात्राओं को आयरन की दैनिक आवश्यकतानुसार (आई सी एम आर के अनुसार) गोलियां उपलब्ध कराई जाएं।
- आयरन एवं फॉलिक एसिड की गोलियाँ नजदीकी पीएचसी/एएनएम से सम्पर्क कर निःशुल्क प्राप्त की जा सकती हैं।